CC0 In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कुण्डलपुर का सच

4694...

लेखक
रवीन्द्र जैन, पत्रकार

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रकाशक

रवीन्द्र जैन, पत्रकार

आर.जे. हाऊस

10–बी, प्रोफेसर कॉलोनी,

भोपाल–462 002

(0755) 660182

मोबाईल – 98270 54116

प्रथम संस्करण

जुलाई 2000

11000 प्रतियां

मूल्य

पच्चीस रूपये मात्र

मुद्रक

भारती आफसेट प्रिंटर्स

"सांध्य प्रकाश भवन" मालवीय नगर

भोपाल-3, फोन-551867

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

समर्पण

बड़े बाबा
के उन
असंख्य भक्तों
को,
जो उन्हें
युग युगान्तरों
तक
सुरक्षित
देखना
चाहते हैं।

4694

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

ऊँचाई छूने
जिनके हाथ नहीं बढ़ते,
ऐसे बौने कैसे
अच्छे हो सकते हैं ?

जिनके जीवन की चादर
रही सदा ही मैली
वे दाग दूसरों के
कैसे धो सकते हैं ?

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कहाँ क्या

- पहले यह 7-9
- कुण्डलपुर एक परिचय 10-15
- कुण्डलपुर का सच 16-29
- नीरज का प्रचार भ्रामक है 30-38
- आचार्यों एवं मुनिराजों के नाम का दुरुपयोग 39-41
- बड़े बाबा को बड़े मंदिर में देखना चाहते हैं भक्तजन 42-45
- सांच को आंच क्या 46-56
- एक ठोस सबूत 57-82
- नीरज की कहानी सतना की जुबानी 83-91
- बने यह मंदिर आलीशान 92-99
- हम मंदिर भव्य बनायेंगे 100-103
- क्षमा वीरस्य भूषणम् 104-105

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भाग - एक

पहले यह

हम भी मुंह में जुबान रखते हैं

हां, यह ''कराहता कुण्डलपुर'' का कड़ा जवाब है। कहावत है –एक झूठ को बार–बार दोहराया जाये तो वह सच सा लगने लगता है। सतना का सूचीबद्ध मूर्ति चोर अपना झूठ एक हजार बार दोहरा पाये इससे पहले मैंने सच कहने का विनम्र प्रयास कड़े शब्दों में किया है।

जिला कोर्ट और हाई कोर्ट से पुरातत्व महत्व की बहुमूल्य मूर्तियों को चुराने के सिद्ध आरोपी नीरज जैन को जैन समाज ने विद्वान का दर्जा देकर शायद अभी तक की सबसे बड़ी भूल की थी। यद्यपि सतना के उन लोगों ने नीरज को कभी भी विद्वान नहीं माना जिन्होंने उसे पुलिस की हथकड़ियों में अपनी खुली आंखों से देखा था।

पूरे दो साल से नीरज जैन जैसे ''विधवा विलाप'' कर रहा है

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

और पूरी समाज अहिंसक रूप से उसे झेल रही है। अहिंसा हमारी संस्कृति है, मजबूरी नहीं। आखिर ''हम भी मुंह में जुबान रखते हैं'' और हर झूठ का कड़ा जवाब देना हमें आता है। लेकिन हम जवाब किसे दें, नीरज को ? नहीं, नीरज तो शिखंडी है, वह तो केवल ''कंधा'' है इसके पीछे अदृश्य ताकतें काम कर रहीं हैं। शिखंडी को आगे करके युद्ध करने वालों को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है और सुनिश्चित पराजय का भय है।

मैं नीरज जैसे शिखंडी के पीछे छिपी तमाम अदृश्य शक्तियों को चुनौती देता हूँ– सामने आकर लड़ें, शिखंडी पर दांव लगाकर न तो वे समाज का हित कर रहे हैं और न ही किसी उद्देश्य की प्राप्ति कर पायेंगे। कुण्डलपुर के रूप में यह तीसरा हमला है, इससे पहले इसी शिखंडी को यह ताकतें गौशाला और भाग्योदय तीर्थ के बहाने सामने करके पराजित हो चुकी हैं।

हाँ, मैं अंधभक्त हूँ, मैं स्वर्ग नरक की बातें नहीं जानता, आगम में क्या सही है, क्या गलत है? यह भी नहीं जानता। मेरा रोम – रोम कहता है कि कुण्डलपुर में बड़े बाबा के लिये बड़ा, मनोहारी, अतिशयकारी, विशाल और आकर्षक मंदिर की रचना हो, यह मंदिर हमारे जीते जी बने और देश की पूरी जैन समाज को इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिये। बड़े बाबा के हरेक भक्त की यही कामना है। इस बड़े मंदिर के निर्माण में बड़े विघ्न नहीं, बड़े शिखंडी सामने आये हैं, चंद चाँदी के सिक्कों में बिकने वाले, कमेटी में पदों को हथियाने का खेल खेलने वाले सामने आये हैं।

चीख–चीख कर प्रचार किया जा रहा है कि – बड़े बाबा की मूर्ति

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

में दरार आ गई है। जैन इतिहास में इससे बड़ा झूठ ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दिशा बोध के सम्पादक चिरंजीलाल बगड़ा ने सही लिखा है कि – दरार इनकी श्रद्धा में आई है, इनकी दृष्टि में दरार है – बड़े बाबा पूरी तरह सुरक्षित हैं। पुरातत्व विभाग की उच्च स्तरीय टीम ने भी इस झूठ को बे–नकाब कर दिया है और मूर्ति को पूरी तरह सुरक्षित होने का प्रमाण जारी किया है।

यह कैसी विडम्बना है कि – पुरातत्व महत्व की मूर्ति चुराने वाला न्यायालय से चोर सिद्ध व्यक्ति कुण्डलपुर में पुरातत्व का हौवा खड़ा करके पूरी समाज को गुमराह कर रहा है। पुरातत्व विभाग भी इसके झांसे में आ रहा है। कुण्डलपुर हजारों वर्षों से दिगम्बर जैन तीर्थ है, वहाँ पुरातत्व जैसा कुछ भी नहीं है यदि हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिये कोई जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं और पुरातत्व को कोई आपत्ति नहीं है तो इस मूर्ति चोर, शिखंडी नीरज जैन और कुण्डलपुर में हारी हुई कमेटी के मुखिया प्रकाश सिंघई को क्यों आपत्ति हो रही है?

नीरज जैन ने अपनी पुस्तक में निर्लज्जता से लिखा है कि – कुण्डलपुर में औरंगजेब की तरह मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। क्या कोई सामान्य मानसिकता का व्यक्ति यह सोच भी सकता है कि – जिस कुण्डलपुर कमेटी ने रात दिन मेहनत करके क्षेत्र का व्यापक विकास किया हो, जहाँ धर्मशालायें, मंदिरों के जीर्णोद्धार का सिलसिला अनवरत जारी हो, जिस कमेटी का एक–एक पदाधिकारी पूरे समर्पण के साथ इस क्षेत्र को दुनिया के प्रमुख तीर्थों में शामिल कराने में जुटा हो, उस कमेटी के लोग अचानक औरंगजेब बन जायेंगे और मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर देंगे? ऐसी बातें नीरज जैन जैसे घटिया मानसिकता के व्यक्ति के कलुषित दिमाग की उपज है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

एक परिचय

बुंदेलखण्ड की शान, कुण्डलपुर तीर्थ

मध्यप्रदेश के दमोह जिले में कुण्डलपुर एक अतिशय प्राचीन तीर्थ है। बड़े बाबा 'मनोज्ञता' के लिये और अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये यह क्षेत्र विख्यात है। इस क्षेत्र की नयनाकर्षक संरचना अत्यंत मनोहारी है और वातावरण को तीर्थानुकूल बनाने में सहायक होती है। गोल कुण्डलाकार पर्वत माला के बीचों बीच निर्मल जल से भरा 'वर्द्धमान सागर' नाम का सरोवर है जिसमें मंदिरों का प्रतिबिम्ब झलकता है। संभवतः पर्वत की कुण्डलनाकार गोलाई ने इस क्षेत्र को कुण्डलपुर नाम दिया है।

बड़े बाबा की प्रतिमा की प्राचीनता का इतिहास ईसा की छठवीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ बासठ मंदिर और हैं जिनके निर्माण का इतिहास तीन या चार शताब्दियों के भीतर

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

का लगता है।

क्षेत्र की स्थिति :-

बीना कटनी रेल्वे लाइन पर दमोह स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर कुण्डलपुर पर्वत श्रेणियों के मध्य यह तीर्थ क्षेत्र कुण्डलपुर विद्यमान है। यहाँ पर्वत पर और तलहटी में बासठ मंदिर हैं। मुख्य मंदिर बड़े बाबा के मंदिर के नाम से पर्वतों के बीच स्थित है।

बुन्देलखण्ड के जैन तीर्थों की सुदीर्घ श्रृंखलां में श्री दिगम्बर जैन सिद्धक्षेत्र कुण्डलपुर का अपना विशिष्ट एवं गौरवमयी स्थान है जो मूलनायक प्रतिमा बड़े बाबा के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। जैन अजैन जनता की श्रद्धा का केन्द्र है। किंवदंती है कि ईसा से छह शताब्दियाँ पूर्व भगवान महावीर का समोशरण इस स्थान पर आया था। सन् 1142 में नंदी संघ के आचार्य पूज्य पद्मनंदी जी का ससंघ आगमन तथा उन्होंने इस क्षेत्र में रहकर चूलिका सिद्धांत वृत्ति की 1200 श्लोक प्रमाण की रचना की थी। काल के प्रभाव से सन् 1657 के पूर्व बड़े बाबा का मूल मंदिर ध्वस्त होकर गुफा का रूप धारण कर चुका था। यहाँ पर प्राप्त शिलालेख के अनुसार बुंदेलखण्ड केसरी महाराजा छत्रसाल ने भी अपनी विपत्ति के समय बड़े बाबा के चरणों में शरण ली थी तभी उन्होंने बड़े बाबा के समक्ष शपथ ली थी कि पुनः गद्दी प्राप्त होने पर मंदिर का जीर्णोद्धार करावेंगे। उन्होंने अपने वचन का पूर्ण निर्वाह किया। श्री सुरेन्द्र कीर्ति स्वामी ने यहाँ आकर बड़े बाबा के दर्शन किये और उनके पश्चात उनके शिष्य सुचन्दकीर्ति और फिर ब्रहमचारी नेमिसागर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जिसके लिये महाराजा छत्रसाल ने आर्थिक योगदान दिया था। संवत् 1757 सन् 1700 ई. के अभिलेखों में इसका उल्लेख किया है जो मंदिर के मुख्यद्वार पर लगे हैं। महाराज छत्रसाल ने मंदिर

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

के साथ-साथ पहुँच मार्ग, सीढ़ियाँ और वर्द्धमान सागर के घाटों का जीर्णोद्धार भी कराया था साथ ही पूजन के वर्तन एवं सोने की छत्र भी बड़े बाबा को भेंट किये थे इनका उल्लेख भी शिलालेख में पाया जाता है।

बड़े बाबा की मूर्ति का अपना अतिशय बताते हैं- किंवदन्ती है कि पटेरा ग्राम का एक धर्मप्रेमी व्यापारी पर्वत के रास्ते से प्रतिदिन व्यापार हेतु आता जाता था। प्रतिदिन उसे रास्ते में एक निश्चित स्थान पर ठोकर लगती थीं जिससे परेशान होकर उसने एक दिन निर्णय लिया कि उस पत्थर को उखाड़ दिया जावे जहाँ उसे प्रतिदिन ठोकर लगती थी। इसलिये वह एक कुदाल लेकर इस निश्चित स्थान को खोदने लगा तभी उसे वहाँ पर चट्टान नजर आई तो वह हार कर वापिस घर लौट आया। रात्रि में उसे स्वप्न आया कि अपना कल्याण करना चाहते हो तो शाम को एक बैलगाड़ी लेकर आ जाना जहाँ तुम्हें ठोकरें लगती हैं उस स्थान पर भगवान की मूर्ति विराजमान है। मूर्ति बैलगाड़ी में विराजमान कर दी जावेगी लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना।

शाम को श्रावक बैलगाड़ी लेकर उस चट्टान पर पहुँचा। मूर्ति को बैलगाड़ी पर विराजमान कर दिया गया। बाजों की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, जय जयकार होने लगी तथा आज्ञा मिली कि यह सब देखना नहीं है। बैलगाड़ी चल दी, कुछ दूरी तक चलने के बाद श्रावक अपने मन को काबू न कर पाया। उसे पीछे मुड़कर देखने का लोभ हो गया। श्रावक ने जीवन का मोह छोड़ दिया और देवों की लीला देखने को तरस उठा। जैसे ही श्रावक ने पीछे देखा बैलगाड़ी रुक गई। सुबह गाँव के लोग पर्वत पर पहुँचे तो देखा वह मानव सांसारिक माया मोह से मुक्त हो गया था और एक 12 फुट ऊंची 7 फुट चौड़ी विशाल प्रतिमा समोशरण के साथ विराजमान है। प्रतिमा को उसी स्थान पर विराजमान

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कर दिया गया। ग्रामवासियों ने इस अमूल्य रत्न को पाकर भारी आनंद का उत्सव मनाया।

पूर्व में यह मूर्ति किस तीर्थंकर की है, इसके अलग अलग मत विद्वानों के थे। पहले इसे महावीर भगवान की प्रतिमा मानते रहे लेकिन सिंहासन के दोनों ओर वृषभ मुखाकृति गोमुख यक्ष का है और यक्ष देवी चक्रेश्वरी देवी एवं कर्ण के पास जटा होने से पुरातत्वविद भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मानते हैं।

बड़े बाबा के मंदिर के मंडप में ही पाषाण की एक प्राचीन चरण चौकी पर एक मूर्ति लेख पढ़ा गया जिसमें अंतिम केवली भगवान श्रीधर स्वामी की निर्वाण कुंडलगिरी यहीं कुंडलपुर है।

कुण्डलपुर की यह प्रसिद्ध कथा है कि एक बार मुगल शासकों ने इस मूर्ति की प्रसिद्धि सुनकर इसे खंडित करने के विचार से कुण्डलपुर पर धावा बोल दिया। कहा जाता है कि हथोड़े की प्रथम प्रहार से ही मूर्ति की अंगुली से दूध की धार बह निकली और अचानक ही मधुमक्खियों ने पूरी सेना को घेरकर हमला कर दिया जिससे उन्हे प्राण बचाकर भागना पड़ा। यह कथा बचपन से हीं मैं सुनता आया हूँ।

सन् 1976 में संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जब प्रथम बार कुंडलपुर में आगमन हुआ। आचार्य श्री कुण्डलपुर के बड़े बाबा से इतने प्रभावित हुये कि उन्होंने अब तक 5 बार कुण्डलपुर में चातुर्मास किया।

सन् 1979 में बड़े बाबा के मंदिर के शिखर का जीर्णोद्धार किया गया, तब जीर्णोद्धार के लिये सहयोग साहूजी परिवार से प्राप्त हुआ था। जब जबलपुर एवं दमोह में भीषण भूकम्प के झटके आये तो उसका असर

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कुण्डलपुर के कई मंदिरों में हुआ तथा शिखरों में भी दरारें आ गईं। बड़े बाबा की प्रतिमा एक ओर करीब डेढ़ इंच झुकी हुई दिखी तथा चार दीवारी में भी भूकम्प का असर दिखाई दिया। अनुमान लगाया गया कि अगर भूकम्प 7.5 या 8 रेक्टर का आया तो निश्चय ही मंदिर पर प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ वास्तु कला विशेषज्ञों की राय है कि अगर बड़े बाबा को सही दिशा में विराजमान किया जावे तो और भी अतिशय देखने को मिलेगा। आज जब तीर्थ यात्री बड़े बाबा के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो जगह कम होने के कारण न तो मूर्ति की शुद्धता कायम रहती है क्योंकि श्रावक गण बिना शुद्ध कपड़े पहिने बड़े बाबा के स्पर्श तो करते ही हैं साथ ही अभिषेक और पूजा भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। गर्भ गृह में 15 से 20 तक श्रावक खड़े नहीं हो सकते इन्हीं सब कमियों को देखते हुये कमेटी के सदस्यों ने विचार विमर्श किया और आचार्य शिरोमणि 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद पाकर एक नवीन मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया गया और बड़े बाबा को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करने की योजना बनाई गई। मंदिरों के प्रमुख शिल्पकार सी.व्ही. सोमपुरा (अहमदाबाद वालों) की सेवायें ली गईं। इसके अलावा अनेक जियोलाजिस्ट इंजीनियर और वास्तुकला के विशेषज्ञों की सेवायें एवं सलाह से नवीन मंदिर का निर्माण कुण्डलपुर में शुरू किया गया है। यह मंदिर करीब दस करोड़ रूपयों की लागत से दस वर्षों में तैयार होने की संभावना है।

इस नवीन मंदिर के निर्माण को जैन मुनियों एवं पंडितों के आशीर्वाद के साथ-साथ लाखों श्रावकों का सहयोग प्राप्त हो रहा है।

प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तगण कुण्डलपुर आते हैं और वंदना कर थकावट मुक्त एवं प्रसन्नता तथा स्फूर्ति का अनुभव धर्म प्रेमी

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

करते हैं।

क्षेत्र कमेटी ने यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण कराया है। साथ ही बड़े बाबा के मंदिर तक पहाड़ पर वाहन ले जाने के लिए पहुंच मार्ग भी बनवाया है। दमोह से सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे रात्रि तक कुण्डलपुर आने जाने के लिये बसें भी उपलब्ध रहती हैं।

आज देश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थलों में कुण्डलपुर का महत्त्वपूर्ण स्थान है और बुंदेलखण्ड का गौरव भी है। जहाँ संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की विशेष कृपा है इसलिये श्रावकगण उन्हें छोटे बाबा के नाम से पुकारने लगे हैं।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भाग - तीन

कुण्डलपुर का सच

मैं कुण्डलपुर के बड़े बाबा का परमभक्त हूँ। कुण्डलपुर के कण-कण के प्रति मेरा रोम-रोम समर्पित है। मैं सदैव वहाँ दर्शन के लिये जाता रहता हूँ। वहाँ के क्षेत्र कमेटी के द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों से मैं काफी प्रभावित हूँ। कुण्डलपुर क्षेत्र से जुड़ी हर घटना मुझे प्रभावित करती है। मैं सदा ही बड़े बाबा का चिन्तन करता हुआ क्षेत्र के विकास की कामना करता रहा हूँ।

विगत कुछ वर्षों से श्री क्षेत्र पर जीर्णोद्धार का कार्य तेजी से चल रहा है। किन्तु विगत एक डेढ़ वर्षों से कुण्डलपुर के निर्माण कार्य के संबंध में पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से अनेक प्रकार का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। अभी-अभी सतना के श्री नीरज जैन द्वारा लिखित पुस्तक 'कराहता कुण्डलपुर' से समाज में विसंवादात्मक स्थिति निर्मित हुई है। बड़े बाबा की प्रतिमा में दरार पड़ने के भ्रामक प्रचार से बुन्देलखंड की सारी जनता चिन्तित है। इन्हीं

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सब समाचारों से प्रभावित होकर एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मैं स्वयं कुण्डलपुर पहुँचा। वहाँ बड़े बाबा के दर्शन किया, चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया, क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों से बातचीत की। न तो बड़े बाबा में कोई दरार दिखाई दी, न ही वहाँ के निर्माण कार्य में मुझे कुछ अनुचित दिखाई पड़ा। मुझे नीरज जैन और उनके साथियों द्वारा उठाए गये सभी मुद्दे निराधार और सत्य के परे दिखाई पड़े।

सब कुछ का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि अब चुप्पी तोड़नी होगी, समाज के सामने वास्तविकता को रखकर नीरज जैन जैसे समाज विरोधियों के चेहरे को बेनकाब करना चाहिये। तभी क्षेत्र की इस दीर्घजीवी योजना को पूर्ण किया जा सकेगा। इसी भाव से मैंने 'कुण्डलपुर का सच' लिखने का प्रयास किया है। क्षेत्र के विकास के संबंध में मुझे जो कुछ भी जानकारी मिली है वह इस प्रकार है-

ऐसे बनी जीर्णोद्धार की योजना

कुण्डलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार की योजना सन् 1992 में वहाँ की क्षेत्र कमेटी ने आपस में विचार-विमर्श कर बनाई। कमेटी के सभी सदस्यों ने यह अनुभव किया कि बड़े बाबा का गर्भगृह अत्यंत छोटा होने से, पूजा-अर्चना में व्यवधान होता है। साथ ही बड़े बाबा के दोनों पार्श्व भागों के दीवारों में खचित पार्श्वनाथ भगवान् की प्रतिमाओं का अविनय भी होता है। अतः इस गर्भगृह का विस्तारीकरण करके भव्य मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिये ताकि यह मंदिर और बड़े बाबा हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकें। इस हेतु विशेषज्ञों से राय ली गई तथा गोंदिया (महाराष्ट्र) के प्रख्यात वास्तुविद आर. पच्चीकर के निर्देश में बड़े बाबा के मंदिर को भव्य रूप प्रदान करने का कार्य शुरू हुआ। पर्वत के निरन्तर क्षरण को देखते हुए वहाँ एक सिंहद्वार की योजना भी बनी। क्षेत्र कमेटी ने परमपूज्य आचार्यश्री विद्यासागर जी महाराज के समक्ष अपनी योजना रखकर उसके लिये आशीर्वाद प्राप्त किया।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

इसी क्रम में 13 अगस्त 1995 को अखिल भारतीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष साहू श्री अशोक कुमार जैन कुण्डलपुर पधारे। नये मंदिर की योजना से वे काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने कुण्डलपुर में निम्न वक्तव्य दिया था:-

"कुण्डलपुर जीर्णोद्धार का नक्शा देखा, यह अद्‌भुत योजना है। 4-5 वर्ष पूर्व आचार्यश्री की भावना सुनी थी। आज विस्तृत जानकारी देखने में आई। योजना अनूठी है, भावना यही है कि जो 1000 वर्ष बाद भी मंदिर खड़े हैं वह दिगम्बरत्व की याद दिलाते हैं उनके जीर्णोद्धार के लिये सीमेंट , लोहे के बगैर पूर्ण होने वाली यह योजना दिगम्बर जैन इतिहास में मैंने अपने जीवन में ऐसा नव निर्माण नहीं देखा, पर आचार्यश्री के सानिध्य में यह अवश्य पूर्ण होगा। मैंने निर्माण समिति से पूछा कि कार्य को मूर्त रूप देने हेतु रुपयों या कार्य के विलम्ब में और तो कोई कारण नहीं है। पहले योजना के अनुसार लगभग एक करोड़ राशि के व्यय का अनुमान था। नई योजना के अनुसार लगभग 2 करोड़ से अधिक की लागत का व्यय संभावित है। कुछ भाईयों ने इसका जिम्मा भी लिया है।"

कार्य की रूपरेखा बनाकर उसे प्रगति दी गई। मंदिर शिखर पर लोड न पड़े इसलिये वास्तुविद के निर्देशानुसार मंदिर के शिखर को छोटा किया गया तथा धूप-पानी से बचाने के लिये उसे सीमेन्ट चूना से छत बनाकर ढक दिया गया। इसी बीच वर्ष 1997 में जबलपुर में आये भूकम्प का प्रभाव कुण्डलपुर में भी पड़ा। वहाँ के कुछ मंदिरों में हल्की दरारें भी आई। भूकम्प के कारण बड़े बाबा की प्रतिमा भी एक ओर झुकी सी दिखती है। इन सारी स्थितियों से कमेटी की चिन्ता बढ़ी। सबने यह विचार किया कि यह क्षेत्र भूकम्प प्रभावित क्षेत्र है, अतः यहां के निर्माण में इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। इसी विचार से विशेषज्ञों का एक दल (जिसमें पुरातत्वविद, जियोलॉजिस्ट , स्ट्रक्चर इंजीनियर और वास्तुविद सम्मिलित थे), से क्षेत्र का निरीक्षण कराया गया। विशेषज्ञों ने क्षेत्र की

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

स्थिति का अध्ययन करने के बाद अपनी ओर से यह राय दी कि यदि आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर मंदिर का निर्माण कराया जाये तो यह मंदिर भूकम्परोधी बन सकता है। रिक्टर पैमाने पर 8 डिग्री तक के भूकम्प को सहने की क्षमता इस मंदिर में उत्पन्न की जा सकती है। उनका कहना था कि इसके लिये ग्रांउटिंग कराना अनिवार्य है। क्योंकि इस पर्वतीय स्थान पर सेण्ड स्टोन और सेल्स की कई लेयर हैं। ग्राउटिंग करने पर वह भूकम्प, मौसम और पानी के प्रभाव से सुरक्षित हो जायेगा। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि इस पद्धति के बिना यहाँ कोई भी निर्माण कार्य चिरस्थायी नहीं बन सकता। वास्तुविद सी.व्ही. सोमपुरा ने भी अपनी ओर से परामर्श देते हुये कहा कि वर्तमान में प्रतिमा वायव्यमुखी है, जो ठीक नहीं प्रतिमा को पूर्व या उत्तरमुखी होना चाहिये। यदि विशेषज्ञों के राय के मुताबिक प्रतिमा को यहाँ से स्थानान्तरित करके नई तकनीक के साथ मंदिर का निर्माण किया जाता है तो यह मंदिर हजारों वर्षों तक टिका रह सकता है तथा वास्तुगत दोष को भी दूर किया जा सकता है।

बड़े बाबा की प्रतिमा को स्थानान्तरित करने की बात सामने आने पर ऊहापोहात्मक स्थिति बन गई। दूसरा कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसके बिना बड़े बाबा और उनके मंदिर को भूकम्परोधी बनाया नहीं जा सकता था। (भूकम्परोधी बनाने के लिये ग्राउटिंग अनिवार्य था और वह प्रतिमा के यथास्थान रखने पर संभव नहीं था) कमेटी ही नहीं हर व्यक्ति बड़े बाबा की प्रतिमा का युगों-युगों तक दर्शन करना चाहता है। अतः बड़े बाबा के मंदिर को चिरस्थायी बनाने की भावना से विशेषज्ञों की राय पर विचार कर नये तरीके से मंदिर के निर्माण का विचार किया और परमपूज्य आचार्यश्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल धर्मसभा में उसे समाज के बीच रखा। समाज की अनुमोदना के उपरान्त कमेटी ने प्रख्यात वास्तुविद सी.व्ही. सोमपुरा के मार्गदर्शन में पंचायतन शैली का पाषाण निर्मित भव्य मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया। यह मंदिर पूर्णतः

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

पाषाण निर्मित होगा, इसमें सीमेंट और लोहे का उपयोग नहीं किया जायेगा। विधि-विधान के लिये देश के मान्य प्रतिष्ठाचार्य पं. नाथूलाल जी शास्त्री इंदौर से परामर्श कर दिनांक 3 मार्च 99 को परमपूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के विशाल संघ के सानिध्य में पं. नाथूलाल जी शास्त्री द्वारा उस मंदिर का शिलान्यास कराया गया। पं. जी ने विधि-विधान संबंधी परामर्श दिया तथा बड़े बाबा को स्थानान्तरित करने के लिये अपनी ओर से सहमति प्रदान करते हुये कहा कि "इसमें न तो कोई शास्त्रीय विरोध है, न ही ऐसा करने से प्रतिमा के अतिशय में कोई अन्तर पड़ेगा। पं. नाथूलाल जी इस योजना से पूर्णतः सहमत थे। कमेटी से उनका एक हस्ताक्षरित लेख हमें प्राप्त हुआ है जिसे हम पाठकों की जानकारी के लिये यहाँ अविकल प्रस्तुत कर रहे हैं-

मध्यप्रदेश के दमोह जिला के अन्तर्गत सिद्धक्षेत्र कुण्डलपुर के कुल साठ जिन मन्दिरों में से बड़े बाबा का मंदिर पहाड़ पर ग्यारहवें नंबर पर है। यह प्राचीन मन्दिर माना जाता है। मन्दिर के बाहर लगे शिलालेख में 'श्री वर्धमानस्य सन्मतेः' अंकित होने से 12 फुट 6 इंच ऊंची यह पद्मासन मूर्ति तीर्थंकर महावीर स्वामी की मानी जाती थीं, जो कि बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध थीं। समाज के मूर्द्धन्य विद्वान श्री ब्र. पं. जगन्मोहन लाल शास्त्री ने, जो क्षेत्र पर विद्यमान दिगम्बर जैन उदासीनाश्रम के अधिष्ठाता थे, मूर्ति के जटाजूट युक्त यानी मूर्ति के कन्धे पर जटाओं की दो-दो लटें लटक रही हैं, देखकर बड़े बाबा को ऋषभदेव (आदिनाथ) तीर्थंकर से प्रसिद्ध किया था।

भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थक्षेत्र कमेटी की ओर से प्रकाशित ''भारत के दिगम्बर जैन तीर्थ'' (तृतीय भाग-मध्यप्रदेश) के पृष्ठ 190 पर यही सिद्ध किया गया है। आदरणीय पं. जी. ने वहीं पर बड़े बाबा मंदिर के सामने एक पाषाण शिला पर चरणयुगल को देखकर, जिसे पहले वहां

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

के लोगों ने भट्टारक के चरण समझकर ध्यान नहीं दिया था, ध्यान से देखने पर नीचे के हिस्से में 'कुण्डलगिरी श्रीधर स्वामी' अंकित पढ़ा और तिलोयपण्णती आदि प्राचीन शास्त्रों के आधार पर कुण्डलपुर अतिशय क्षेत्र को फिर सिद्धक्षेत्र घोषित किया। उक्त ग्रन्थ में पूर्ण खोज पूर्वक यह भी लिखा है कि ''बड़े बाबा का सिंहासन दो पाषाण खण्डों को जोड़कर बनाया गया प्रतीत होता है। बड़े बाबा और पार्श्ववर्ती (आजू-बाजू) भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमाओं के सिंहासन मूलतः इन प्रतिमाओं के नहीं हैं। ये दो मूर्तियाँ आततताईयों (यवनों) के आक्रमण के बाद की ही हो सकती हैं। यह तो स्वीकार करना ही होगा कि इधर की दो-तीन शताब्दियों में मूलनायक के गर्भगृह में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। इस गर्भगृह में ही दीवारों पर जिस ढंग से प्रतिमायें लगी हुई हैं उसमें कोई व्यवस्थित योजना मालूम नहीं पड़ती। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ से 5 कि.मी. दूरस्थ वर्रट स्थान से, ये मूर्तियाँ वहाँ का मन्दिर ध्वस्त हो जाने पर यहाँ लाकर विराजमान की गई हैं। उक्त उद्धरण पूर्णतः जांच करके लिखा गया है। बड़े बाबा की दीवाल की मूर्तियाँ अव्यवस्थित रूप से अंकित हैं जिससे बड़े बाबा के उपर उनके पैर पड़ते हैं और उनका अविनय भी हो रहा है। यह सब परिवर्तन यवनों के आक्रमण से भयभीत होकर उस समय जल्दी में जैसा बना, वैसा बना दिया गया प्रतीत होता है।

मैं भी सपरिवार यहाँ दो बार गया हूँ। इन्दौर में मुझसे दो बार क्षेत्र के सज्जनों ने कहा था कि बड़े बाबा की विपरीत दिशा, मन्दिर की दीवाल में लगी मूर्तियाँ, दरवाजा आदि व्यवस्थित करने का परामर्श क्या आप दे सकते हैं ? मन्दिर का मुख भी पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए, जो अभी नहीं है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

विगत दिनों मैं पुनः ससंघ परमपूज्य आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज के दर्शनार्थ कुण्डलपुर (दमोह) 14 फरवरी 1999, रविवार एवं 3 मार्च 99, बुधवार को गया था। वहाँ मुझे फिर से बड़े बाबा के दर्शन के समय आचार्यश्री की उपस्थिति में वहाँ की स्थिति बारीकी से दिखलाई गई। इंजीनियर भी वहाँ आये थे। तब बड़े बाबा के नीचे और आजू-बाजू की सारी स्थिति का निरीक्षण हुआ। रविवार, 14 फरवरी 99 की दोपहर में क्षेत्र के नवीन विशाल प्रवचन हॉल में ससंघ आचार्य श्री विद्यासागरजी महाराज के समक्ष हजारों साधर्मी बन्धुओं की उपस्थिति में सभा का आयोजन हुआ था। सभी का यही मानना था कि बड़े बाबा का उनके अनुरूप ही बड़ा काम होना चाहिए यानी बड़े बाबा को जहाँ तक हो सके पास ही किसी बड़े स्थान में व्यवस्थित रूप से विराजमान करना चाहिए, जिससे सभी दर्शनार्थियों को एक साथ दर्शन-पूजा का लाभ मिल सके और पर्वत पर आने वाले यात्रियों को धूप और वर्षा से बचाया जा सके।

क्षेत्र कमेटी की प्रबन्धकारिणी के सदस्यों ने इस संबंध में मुझसे भी परामर्श किया। मैंने मंदिर योजना पर विचार कर इसे समयोचित एवं आगमोक्त समझते हुए अपनी सहमति प्रदान की। क्षेत्र की प्रबंधकारिणी एवं प्रमुख लोगों के निवेदन पर परम पूज्य आचार्यश्री ने भी इसे उचित माना। क्षेत्र पर मंदिर का जीर्णोद्धार पूर्व में महाराज छत्रसाल ने कराया था। अतः बड़े बाबा के वर्तमान स्थान पर वहाँ बाहर रखे हुए श्रीधर केवली के चरण स्थापित कर दिए जावेंगे क्योंकि इन चरण चिन्हों से ही क्षेत्र की प्राचीनता और सिद्धक्षेत्र नाम की सार्थकता है तथा इस मंदिर से कुछ पीछे ऊंचाई पर वास्तु शिल्प विधि से विशाल मण्डप युक्त मन्दिर का निर्माण कराया जावेगा, जिसमें बड़े बाबा की मूर्ति स्थापित की जा सके। अतएव मंदिर निर्माण हेतु शिलान्यास कराना निश्चित हुआ।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

मंगलवार, 3 मार्च 1999 को मैंने और अन्य विद्वानों ने विधानपूर्वक ससंघ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की उपस्थिति में उक्त कार्य हेतु शिलान्यास कराया था।

विगत कुछ दिनों से इन्दौर में चर्चा थी कि इस क्षेत्र के कोई सदस्य मतभेदवश उक्त कार्य में बाधा डालना चाहते हैं इस हेतु समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में भी एक लेख ''कुण्डलपुर सिद्धक्षेत्र में बड़े बाबा के अस्तित्व को खतरा'' शीर्षक से प्रकाशित कराया गया है। कुछ लोग यह कहकर इस कार्य का विरोध करते हैं कि बड़े बाबा की प्रतिमा को स्थानान्तरित करने से क्षेत्र का अतिशय समाप्त हो जावेगा। (इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि भारत के दिगम्बर जैन तीर्थ पुस्तक के अनुसार अतिशय क्षेत्र पदमपुरा (जयपुर) राजस्थान में पदम्प्रभु भगवान की प्राचीन मूर्ति पुराने स्थान से कुछ दूरी पर विशाल मंदिर निर्माण कराकर विराजमान की गई है। उसका अतिशय अभी वहाँ हमने देखा है।)

बड़े बाबा से ही इस कुण्डलपुर क्षेत्र की प्रसिद्धि है। उनको श्रद्धापूर्वक पूर्ण सावधानी के साथ व्यवस्थित रूप से विराजमान करने का प्रयत्न किया जाएगा, अतः इससे उनके अस्तित्व को खतरा ही क्यों होगा ? उपरोक्त तथ्यों के संबंध में क्षेत्र की प्रबंधकारिणी समिति की भी सहमति है।

पं. नाथूलाल जैन शास्त्री
मोती महल, सर हुकुमचंद मार्ग
इतवारिया, इन्दौर (म.प्र.)

विरोध के स्वर उभरने लगे-

मंदिर का शिलान्यास होते ही आचार्य श्री का नेमावर की ओर विहार हो गया और वहां प्रकाश सिंघई जो क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0 In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

ने अपना विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया। विरोध को नीरज जैन सतना ने हवा दी। विरोध के क्रम में सर्वप्रथम दमोह से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र 'कालम' ने 6 अप्रैल 1999 के अंक में अनेक मनगढ़ंत बातें लिखकर कुण्डलपुर के संबंध में भ्रामक प्रचार का सूत्रपात किया। इसी प्रकार कुछ अन्य लोगों ने भी क्षेत्र की वास्तविकता को जाने बिना विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से अपना विरोध जारी रखा। इधर कमेटी अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा देती हुई विरोधों का प्रतीकार किये बिना निर्माण कार्य में लगी रही। क्षेत्र कमेटी की यह सहनशीलता कुछ लोगों को नागवार गुजरी। वे भड़क उठे और सक्रिय होकर शासन और प्रशासन से अनेक प्रकार की शिकायतें करके क्षेत्र के कार्य को रोकने का असफल प्रयास करते रहे, पर यह बड़े बाबा का अतिशय ही है कि तमाम अवरोधों के बाद भी बड़े बाबा के मंदिर के निर्माण का कार्य अनवरत जारी है।

नीरज जैन सतना को क्षेत्र की कार्य योजना से विशेष आपत्ति थी, वे कमेटी से योजना का विस्तृत स्वरूप लिखित में चाहते थे। कमेटी ने उनकी मंशा को समझते हुए क्षेत्र की योजना लिखित में देने की अपेक्षा उन्हें स्वयं क्षेत्र पर पधार कर कार्य योजना को देखने और समझने का आमंत्रण दिया। अपने दुरुभिमान में अकड़े नीरज जैन ने कमेटी के स्नेह भरे आमंत्रण को ठुकरा कर क्षेत्र कमेटी के नाम एक खुला-पत्र लिखा, इसमें उन्होंने लिखा कि "बड़े बाबा की प्रतिमा को सरकाने की बात तो शेख-चिल्ली के लड्डू है।"

समाज में इसकी काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई, अनेक स्थानों से उनके विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास हो गये। इससे बौखलाकर नीरज जैन ने "कराहता कुण्डलपुर" नामक पुस्तक लिखकर समाज में भ्रामक प्रचार करने का दुष्कृत्य किया। ट्रिक फोटोग्राफी के सहारे से उन्होंने अनेक चित्रों को छापकर (जिसमें बड़े बाबा में दरार दिख सके) समाज में उत्तेजना

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

फैलाने की कोशिश की। पुस्तक में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उससे यही प्रतीत होता है कि यह कुण्डलपुर की कराह ना होकर उनके प्रति पास किये गये निंदा प्रस्ताव की कराह है। स्वयं नीरज जैन ने 'जैन गजट ' के संपादक प्राचार्य नरेन्द्र प्रकाश जैन से बातचीत में यह स्वीकार किया है 'मेरे पत्र के उत्तर में निंदा प्रस्ताव के स्थान पर' यदि यही सब पहले बता दिया होता तो पुस्तक की भाषा सुकोमल होती' (जैन गजट 13 जुलाई) वस्तुतः नीरज जैन को क्षेत्र के हिताहित से कोई सरोकार नहीं है उन्हें तो बस अपने मान-प्रतिष्ठा की खुराक चाहिये।

औरंगजेब का वंशज कौन?

नीरज जैन अपनी पुस्तक में बड़े बाबा की प्रतिमा में दरार की बात को जोरदार ढंग से उछाला है साथ ही वहाँ की कमेटी को औरंगजेब की वंशज निरूपित करते हुये लिखा है कि वहाँ की कमेटी ने 'बड़े बाबा की शिखर को तोड़ डाला और चार मंदिरों को नींव से खोदकर फेंक दिया'। नीरज जैन के इस आरोप के संबंध में मैं सिर्फ उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्षेत्र कमेटी औरंगजेब की वंशज है या नहीं यह तो हमें पता नहीं पर हम इतना अवश्य जानते हैं कि वर्तमान कमेटी के पूर्व की कमेटी में आप स्वयं सदस्य रहे हैं और प्रकाश सिंघई तो क्षेत्र के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस हिसाब से यदि विचार किया जाये तो वर्तमान कमेटी पूर्व कमेटी की ही वंशज है। यदि कमेटी औरंगजेब की वंशज है तो पूर्व कमेटी औरंगजेब सिद्ध होंगे। मेरी दृष्टि में नीरज जैन ने क्षेत्र की दीर्घजीवी योजना में व्यवधान डालकर अपनी औरंगजेबियत का ही परिचय दिया है।

क्या मंदिर खोदकर फेकें गये?

किसी मंदिर को खोदकर फेंकनें की बात तो कोई भी जैनी सोच भी नहीं सकता, पता नहीं नीरज जैन जैसे व्यक्ति के मस्तिष्क में यह बात कहाँ से आ गई। वस्तुतः जिन मंदिरों के खोदनें की बात नीरज जैन ने उठाई है वे मंदिर नहीं गुमठी-नुमा मढिया थी। मंदिर निर्माण के ले-आउट प्लान में

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आने के कारण उन्हें विधि-विधानपूर्वक शिफ्ट किया है ना कि खोदकर फेंका गया है। वे प्रतिमाएँ आज भी वहाँ विराजमान है नित्य उनकी पूजा अर्चना हो रही है, मंदिर निर्माण के उपरांत विधि-विधानपूर्वक उन्हें यथास्थान विराजमान कर दिया जावेगा।

सिंहद्वार बना क्यों, रुका क्यों?

सिंहद्वार के निर्माण के विषय में नीरज जैन ने उसे एक बिजूका बताते हुये कहा है कि यह सिंहद्वार कला और सौन्दर्य से रहित है। वस्तुत: सिंहद्वार के निर्माण की योजना पर्वत के हो रहे क्षरण के कारण बनी। पहाड़ी में पीली मिट्टी और मुरम की अधिकता है। सामने की ओर खाई होने के कारण पानी के बहाव से उसमें निरन्तर क्षरण हो रहा था। विशेषज्ञों की राय के अनुसार इसी क्षरण को रोकने के लिये वहाँ सिंहद्वार की योजना बनी। ब्राद में वास्तुविद् के कहने पर उसके निर्माण कार्य को अभी रोक दिया गया है। वास्तुविदों के अनुसार पहले मंदिर बनना चाहिये बाद में सिंहद्वार। जो अभी सिंहद्वार के रूप में इमारत खड़ी है वह सिंहद्वार नहीं उसकी प्लीन्थ है। मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होते ही उस पर अत्यंत कलात्मक सिंहद्वार का निर्माण कराया जायेगा।

शासन देवी देवताओं का नया सिगूफा

नीरज जैन ने अपनी पुस्तक में 'कहीं शासन देवी-देवताओं को हटाने को कोई गुप्त एजेंडा तो नहीं' लिखकर एक नया सिगूफा छोड़ा है। इस संदर्भ में बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि कमेटी का कोई गुप्त एजेंड़ा नहीं है जो कुछ जैसा भी है वह उसी रूप में होगा, यदि प्रतिमा स्थानांतरित होगी तो उसके साथ यक्ष-यक्षिणी भी उसी रूप में स्थानांतरित किये जायेंगे। हमारी समझ में यह मुद्दा उठाकर लेखक ने शासन देवी-देवताओं के प्रति विशेष मान्यता रखने वाले वर्ग विशेष की भावनाओं को भड़काकर मुनि संघों और समाज में नया वितंडा खड़ा करने का अपना ही कोई गुप्त एजेंड़ा उजागर किया है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

इतिहास विलोपित नहीं होगा

क्षेत्र कमेटी से बात करने के उपरांत कमेटी ने कहा कि हम कोई नया इतिहास बनाने के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस ऐतिहासिक धरोहर को हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखने का है। मंदिर के निर्माण के बाद मंदिर में वह शिलालेख लगाये जायेंगे जिसमें मंदिर संबंधी समस्त प्राचीन ऐतिहासिक विवरणों का उल्लेख किया जायेगा।

कैसा होगा मंदिर?

यह मंदिर पंचायतन शैली का अत्यंत भव्य और आकर्षक मंदिर होगा। इसमें गर्भमण्डप, अनुष्ठान मण्डप, गैलरी, रंगमण्डप, प्रवेशद्वार यथास्थान होंगे। सी.वी. सोमपुरा के मार्गदर्शन में बन रहा यह मंदिर वास्तुशिल्प का अद्‌भुत नमूना होगा। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता होगी भूकंपरोधी क्षमता, रिक्टर पैमाने पर 8 डिग्री तक के भूकंप को सह सकने की सामर्थ्य।

नये मंदिर का कुल क्षेत्रफल 210x500 फीट है अर्थात् एक लाख पाँच हजार वर्ग फीट , दस करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इस मंदिर में 210x500 फीट के क्षेत्र में ग्राउटिंग की गई है। ग्राउटिंग के संबंध में जानकारी देते हुये मंदिर के निर्माण कार्य को देख रहे इंजीनियर अशोक जैन ने हमें बताया कि इस पर्वतीय क्षेत्र में सेण्डस्टोन और सेल्स की कई परतें हैं। भूकम्प, मौसम और पानी के प्रवाह से उन्हें सुरक्षित रखने के लिये 15-15 फुट गहरे एवं 5-5 इंच व्यास के 300 सुराख किये गये हैं। उनमें एक मशीन द्वारा तेज दबाब के साथ सीमेन्ट का घोल डाला गया है, इससे जो परतें कमजोर होंगी उनकी झिरियों में यह घोल भर जायेगा और मंदिर में भूकंपीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। (उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे पचासों छिद्र थे जिनमें सैकड़ों बोरियाँ सीमेण्ट समा गई।) अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वतीय भूमि अन्दर से कितनी सोखती है। सब जानते हैं कि कुण्डलपुर भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। स्वयं नीरज जैन ने लिखा है कि "बड़े

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

बाबा का सिंहासन किसी भूकंप के प्रभाव से एक ओर एक इंच धस गया है।" अतः क्षेत्र कमेटी के इस रचनात्मक कार्य का विरोध करना कहाँ तक उचित है, पाठक स्वयं विचार करें। (हमारी दृष्टि में तो नीरज जैन और उनके सहयोगियों ने क्षेत्र के विकास में बाधा बनकर जो कार्य किया है वह उनके भीतर छाई औरंगजेबियत को ही उजागर करती है।)

फिर विरोध क्यों?

इतनी दीर्घजीवी और भव्य योजना के होते हुए भी विरोध की बात समझ से परे है। वस्तुतः विरोधियों का इस क्षेत्र से कुछ लेना-देना नहीं है, उनके विरोध का कारण केवल विरोध के लिये विरोध की बात करना है। इससे पूर्व भी अनेक स्थानों पर पूर्व निर्मित मंदिरों को गिराकर उनके स्थान पर नये मंदिर बनवाये गये हैं वहाँ किसी ने कोई विरोध नहीं किया। पद्मपुरी की प्रतिमा को दर्शकों की सुविधा के लिये मूल स्थान से स्थानांतरित किया गया है, वहाँ अतिशय में कोई फर्क नहीं पड़ा।

आज से कुछ वर्ष पूर्व श्री महावीर जी तीर्थक्षेत्र में शांतिनगर में बना एक शिखरबंद मंदिर अचानक ढह गया था लेकिन संयोग से इस मंदिर की सभी मूर्तियाँ सुरक्षित रहीं। समाज ने इन मूर्तियों को एक अन्य मंदिर पर रखकर पुराने मंदिर के स्थान पर नया मंदिर बनाया तथा पंच कल्याणक कराकर यह मूर्तियाँ पुनः वहाँ स्थापित की गई। इसी तरह कुण्डलपुर में जो वेदियां शिफ्ट की गईं हैं वह भी नये मंदिर में स्थापित की जायेंगी। समाज के इस कार्य को औरंगजेब जैसी हरकत बताना नीरज जी की कुण्ठा उजागर करती है।

इसी प्रकार अभी-अभी मुरैना जिले के सिहौनियां अतिशय क्षेत्र में ग्यारहवीं सदी की मूर्ति को मंदिर से हटाकर उस जर्जर मंदिर को गिराकर समाज ने वहाँ नये मंदिर का निर्माण करके इसी मूर्ति को पुनः नये मंदिर में रखवाया है। इस क्षेत्र के विद्वान पंडित सुमतचंद शास्त्री का कहना है कि

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

ऐसा करके हमने मंदिर के वास्तु दोषों का भी निराकरण कर लिया तथा नया मंदिर भी बन गया।

कृपया विचार करें

अब आप ही बतायें कि कुण्डलपुर में क्या गलत हुआ है? क्या बड़े बाबा की प्रतिमा को भूकम्प आदि से बचाकर दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की भावना से उन्हें भव्य मंदिर में विराजमान करने की बात सोचना गलत है? क्या आप चाहते है कि कुण्डलपुर के बड़े बाबा को सुरक्षित न रखा जाये? क्या क्षेत्र के दीर्घकालिक स्थायी संरक्षण को विध्वंस की संज्ञा देना उचित है? क्या मंदिर/मूर्तियों की स्थाई सुरक्षा क्षेत्र कमेटी का कर्तव्य नहीं है? क्या ऐसे विकास कार्यों में अवरोध बनना पाप नहीं है?

इन रचनात्मक कार्यों के लिये यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो आइये और बड़े बाबा के बड़े मंदिर के निर्माण में तन, मन, धन से अपना सहयोग देकर पुण्यार्जन में सहभागी बनिये।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

नीरज का प्रचार भ्रामक है

समाज के वरिष्ठतम् विद्वान श्री मूलचंद जी लुहाड़िया 'किशनगढ़' तथा समाजसेवी श्री अजीत मोदी ने नीरज जैन को पत्र लिखकर उनके प्रचार को भ्रामक बताया है।

नीरज जी,

आपकी पुस्तक ''कराहता कुण्डलपुर'' पढ़कर अत्यंत पीड़ा हुई। ऐसा लगता है कि यह पुस्तक कुण्डलपुर क्षेत्र कमेटी के प्रति आपकी गहन नाराजगी के फलस्वरूप लिखी गई है। उस तीव्र रोष के कारण आपने अपनी पुस्तक के द्वारा होने वाले दुष्प्रचार से इस क्षेत्र को होने वाली संभावित हानि की भी चिंता नहीं की। यदि उस पावन तीर्थ क्षेत्र के प्रति आपके हृदय में लम्बे समय से श्रद्धा की भावना रही है तो, आपके द्वारा क्षेत्र के लिए ऐसा अहितकारी दुष्प्रचारात्मक कदम कैसे

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

उठाया जा सका ?

बंधुवर, मुझे क्षमा करें, प्रायः आपके आचरण की यह कहानी रही है कि आप अपने तात्कालिक निर्जी स्वार्थपूर्ण कारणों के आधार पर अपना पक्ष समय-समय पर बदल लेते हैं। गत 5-6 वर्षों से कुण्डलपुर क्षेत्र के, बड़े बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण के प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत होकर क्रियान्वयन के लिए लम्बित होते आ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि उन प्रस्तावों की स्वीकृति के समय केवल आप उपस्थित ही नहीं थे अपितु आपने उन प्रस्तावों का उच्च स्वर से समर्थन करते हुए समाज से अर्थ सहयोग भी मांगा था। आज जब आपको उन सब पूर्ण समर्थित निर्माण प्रस्तावों के विरोध में झंडा लेकर खड़ा देखते हैं तो निश्चय ही आश्चर्य मिश्रित खेद होता है। वस्तु स्थिति यह है कि क्षेत्र कमेटी द्वारा आपके विरूद्ध पारित निंदा प्रस्ताव की चोट की पीड़ा ने ही आपसे यह पुस्तक लिखवाई है और इस पुस्तक में यहाँ वहाँ आपके स्वयं के अपमानित अनुभव करने के कारण हुई अर्न्तवेदना की कराह सुनाई पड़ती है। क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित होने पर लिखी जाने वाली पुस्तक का तो रूप ही संभवतः दूसरा होता जिसमें सकारात्मक सृजन, सद्भाव एवं सहयोग के दर्शन होते।

मैं यह अवश्य कहूँगा कि क्षेत्र कमेटी द्वारा पारित निंदा प्रस्ताव एक उचित निर्णय नहीं था। परंतु मुझे बताया गया कि आपके पत्र के उत्तर में क्षेत्र कमेटी ने आपको मौखिक कहा था कि क्षेत्र की विकास योजना के नक्शे भेजे जाना संभव नहीं थे। वे सब योजनाएं यद्यपि आपकी जानकारी में थीं तथापि आप स्वयं कुण्डलपुर पधारकर पुनः योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें और कमेटी को अपने मूल्यवान

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

मार्गदर्शन से उपकृत करें। किंतु आपने क्षेत्र कमेटी के निवेदन को ठुकराकर गतिशील निर्माण कार्य में बाधा डालने के उद्‌देश्य से समाचार पत्रों में सार्वजनिक रूप से गलत तथ्यों के आधार पर क्षेत्र के विरूद्ध भ्रामक प्रचार प्रारंभ कर दिया। उस स्थिति में क्षेत्र कमेटी ने आपके विरूद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जो मेरी समझ में फिर भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।

आपकी पुस्तक पढ़कर मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने अपमान की पीड़ा से मर्माहत हो, चोट खाए सर्प की भांति क्षेत्र के हित अहित की परवाह किए बिना क्षेत्र कमेटी की सभी विकास योजनाओं में बाधा डालने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकने के लिए उद्धत हैं।

आपने साहित्यिक चतुराई से अपनी पुस्तक में कमेटी द्वारा किए गए मंदिर ढहाने, शिखर तोड़ने आदि कार्यों का चित्रण छल पूर्वक इस भयानक रूप से किया है कि उसको पढ़कर किसी भी अनजान श्रद्धालु श्रावक के मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। वस्तुतः ये सब कार्य जिनके लिए आपने 'ध्वंस' शब्द का प्रयोग कर समाज को भ्रमित करने का दुष्प्रचार किया है, क्षेत्र के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण के पूर्व में होने वाली अनिवार्य घटनाएं हैं। वह नव निर्माण और जीर्णोद्धार आपको ध्वंस दिखाई दे रहा है यह तो आपकी दृष्टि दोष ही की बलिहारी है। यह तथाकथित ध्वंस नव निर्माण की प्रक्रिया का ही एक अंग है। यह ध्वंस नव निर्माण के लिए है, ध्वंस के लिए नहीं है।

विद्वतवर, आप समाज के एक लब्ध प्रतिष्ठित चिंतक विद्वान हैं। आपसे समाज को सकारात्मक एवं रचनात्मक मार्गदर्शन प्राप्त होने की अनेक आशाएं हैं। आपकी इस श्लाघनीय योग्यता का यदि प्रतिगामी एवं

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

निषेधात्मक रूप में क्षेत्र के विकास कार्यों में बाधक बनने में अपव्यय हो तो यह समाज का दुर्भाग्य होगा।

मेरी प्रार्थना है कि आप इस प्रकार कुण्डलपुर कमेटी के विरोध में गलत तथ्यों के आधार पर भ्रामक प्रचार का सहारा लेकर क्षेत्र के व्यापक हितों के विरूद्ध बाधाएं खड़ी करने का प्रयास त्याग कर पूर्व निश्चित निर्माण कार्य सम्पन्न कराने में अपना मूल्यवान सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। यदि निर्माण कार्य की योजना में कहीं कोई त्रुटि आपके ध्यान में आती हो तो उस पर आपके मूल्यवान सुझावों का स्वागत करने के लिए हम क्षेत्र कमेटी से निवेदन करेंगे। क्षेत्र कमेटी और आप दोनों ही यदि बड़े बाबा के चरणों में प्रणाम कर उनका आर्शीवाद लेकर क्षेत्र के विकास की योजनाओं के संबंध में मिल बैठकर चर्चा करेंगे और पारस्परिक रचनात्मक सहयोग के लिए संकल्पित होंगे तो कुण्डलपुर क्षेत्र की धरती पर अकृत्रिम चैत्यालयों जैसा पावन दृश्य एवं वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

आपका

मूलचंद लुहाड़िया

जो विघ्न डालते हैं वे इतिहास के कूड़ेदान में पाये जाते हैं : अजीत मोदी

नीरज जी,

कराहता कुण्डलपुर पुस्तक को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा और यह महसूस किया कि अगर इस पुस्तक में प्रकाशित अनावश्यक सामग्री जिसे आपने विध्वंस एवं दरार के रूप में छापा है को अलग कर दिया जाये तो निश्चय ही एक सुन्दर और अलौकिक रचना होती। परन्तु आपने

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

साप्ताहिक क्रांति बोल में छपी सामग्री जो पूर्णतः असत्य के आधार पर छपवाई गई थी एवं प्रकाशचंद सिंघई के द्वारा उपलब्ध कराये गये फोटोग्राफ्स जो फोटोकला के एक नमूने के आधार पर तैयार करवाये गये थे उन्हें बिना स्वयं कुण्डलपुर का निरीक्षण किये बिना प्रकाशन करना यह दर्शाता है कि कुण्डलपुर कमेटी ने आपके दिल में ऐसी गहरी चोट पहुँचाई है कि जो कराह आपके मुख से निकलनी चाहिये थी वही पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गई है। यह आपने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 106 पर निन्दा प्रस्ताव के बारे में लिखा है। जो कि वास्तव में आपके शब्द "शेख चिल्ली के लड्डू" का उपयोग करने पर दमोह जिले के जैन समाज ने पारित किया था। आपने ये शब्द एक ऐसे सन्त के लिये उपयोग किये थे जिनकी पैर की धूल के कण के बराबर भी आप अपनी अहमियत नहीं रखते है। आप क्या यह नहीं समझते कि अगर बड़े बाबा की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर क्या उपसर्ग होते हैं। अगर बड़े बाबा की इच्छा न होती तो वहां कार्य शुरू करना कठिन हो जाता। जिन उपसर्गों का आपने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है वे आपने दूसरों के द्वारा सुनी हुई मनगढ़ंत कहानियाँ है।

आपने अपनी पुस्तक में एक ओर स्वयं लिखा है कि हमारे देश में टेक्नालॉजी की कमी नहीं है। अब आपको यह जानकारी अवश्य होनी चाहिये कि जब किसी भी बड़े काम को करना पड़ता है तो अवश्य ही कमेटी ने वास्तुकला विशेषज्ञों और इंजीनियर तथा टेक्नीशियन की सलाह अवश्य ही ली होगी। जहाँ तक मुझे जानकारी भी मिली है कि ये सब कार्य विशेषज्ञों की सलाह पर ही हो रहे हैं।

आपके लिये कुण्डलपुर में घटित घटना अप्रिय हो सकती है लेकिन लाखों श्रावकों के लिये यह समय बड़ा सुखद और अतिशय युक्त रहेगा जब बड़े बाबां ऊँचे सिंहासन पर बैठ कर और भी भव्य मनोहारी बड़े बाबा लगेंगे।

आपकी मनःस्थिति सदैव ही विध्वंस एवं अनैतिक कार्यों में बचपन

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

से ही संलग्न रही है जिसके कारण दूसरों के द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्य भी आपको विध्वंसात्मक दिखते हैं "जाकी रही भावना जैसी" जिसका मन जैसा होता है उसे सदैव दूसरों का मन भी वैसा ही दिखता है।

कुण्डलपुर में प्राचीनता सिर्फ मूर्तियों में ही है। जहाँ तक देखा जावे तो बड़े बाबा के शिखर, दरवाजों तथा दीवालों की प्राचीनता तो वर्ष 1979 के पूर्व भी एवं बाद की कमेटी के अध्यक्षों ने पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार के नाम पर बदल डाली थी और बार-बार तोड़ फोड़ के कारण जैसा कि मुख पृष्ठ पर प्रकाशित चित्र दर्शाता है तथा आप भी इस वक्त की कमेटी के सदस्य के रूप में थे जैसा आपने पुस्तक में लिखा है कि आपके ही निर्देशन में बिना पुरातत्व विभाग की मंजूरी के बड़े बाबा के शिखर का जीर्णोद्धार करने के नाम पर पुरातत्व की सत्यानाश किया था और अब आप कौन से पुरातत्व की बात करते है यह समझ से परे है।

समय-समय पर बनी योजनाओं पर चर्चा होती रही कई बार आप भी इन बैठकों में मौजूद रहे और अंत में सभी के विचार-विमर्श अनुसार ही योजना को मूर्तरूप दिया गया फिर भी आप लिखते है कि आपको योजना से दूर रखा गया हालांकि निर्णय लेने के वक्त आप जैसे व्यक्तियों की कतई आवश्यकता समाज महसूस नहीं करता है जिसका आचरण ही जैन धर्म के अनुरूप न हो।

आपने कुण्डलपुर पर 11 संस्करण जरूर निकाले और बड़े बाबा के नाम का उपयोग कर आपने आर्थिक लाभ भी इससे खूब उठाया है और अपनी इन पुस्तकों में किवदंतियों के अलावा कभी यह नहीं दर्शाया कि यह मूर्ति और मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। आज की समाज और युवा वर्ग यह जरूर देखना चाहता है कि प्राचीनकाल की किवदंती वर्तमान काल में कैसे साकार होती है। जब बड़े बाबा को सरकाकर नवीन मंदिर में विराजमान किया जावेगा और यह अतिशय सारे विश्व में जब प्रचारित होगा तो कुण्डलपुर की कीर्ति चहूँ ओर नजर आयेगी।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

हमने आपकी पुस्तक में यह जरूर पाया है कि आपको हमेशा ही दूसरों की कीर्ति से ईर्ष्या होती है। जैन धर्म में विभिन्न विचारों वाले संत हुए है वे सभी पूज्यनीय है। आपने जिसको पसंद किया आप उसके चरणों के दास बन गये और जिनके विचारों के आप खिलाफ हो गये उनकी निन्दा करने में आप अग्रणी हो गये। आप सन्तों और साधुओं की त्याग और तपस्या को सदैव नजर अंदाज करते रहते हैं। आपकी पुस्तक यह स्वयं बोलती है कि आप भट्टारक प्रथा के प्रबल समर्थक है क्योंकि यहां से आपको आर्थिक मदद सदैव प्राप्त होती रहती है इसलिये आप दिगम्बर वीतरागी जैन मुनियों की आलोचना खुलकर तो नहीं लिखते अपनी लेखन कला के माध्यम से घुमा फिराकर लिख देते हैं।

अगर आपके पूर्व के कार्यों का लेखा जोखा देखा जावे तो आप पुरातत्व के काफी प्रेमी और प्रशंसक है। आपको कभी हथकड़ी, जेल और जुर्माना आदि की सजा आपके पुरातत्व प्रेम एवं अपराधिक कार्यों के बतौर झेलनी पड़ी, बाद में पुरातत्व विभाग से मेल मिलाप हो गया। जितनी प्रशंसा आपने पुरातत्व विभाग की पुस्तक में की है उतनी प्रशंसा तो इस विभाग को शासन और जनता दोनों से कभी नहीं मिली। आपकी युवावस्था के समय मूर्ति प्रेम के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिये ही आपने पुरातत्व विभाग को लिखकर कुण्डलपुर की ओर इनका ध्यान आकर्षित किया है नहीं तो सारे देश में बिखरे पड़े पुरातत्व की रक्षा पुरातत्व विभाग कर नहीं पा रहा है और जहाँ जैन समाज स्वयं पुरातत्व की रक्षा कर रहा हो वहाँ पर अनावश्यक दखलंदाजी अवश्य कर रहा है।

आज की स्थिति में बड़े बाबा के मंदिर का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। जब भूकम्प के झटकों को मंदिर झेल नहीं पा रहा है। हजारों वर्ष तक बड़े बाबा भूकम्प निरोधी मंदिर में ऊँचे और भव्य सिंहासन पर बैठ कर और भी बड़े दिखने चाहिये तब आपका और आपके निकट सहयोगी प्रकाशचंद सिंघई का विरोध क्या उन्हें इसी स्थिति में रखा रहना चाहता है

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

तब तो भविष्य की आने वाली पीढ़ी किसी को भी माफ नहीं करेगी।

आज का समाज भी आपके इस कुकृत्य को माफ करने के लिये कतई तैयार नहीं है। समाज के युवावर्ग का आक्रोश आपके ऊपर कितना है यह तो तभी दिख सकता है जब आप खुले मंच पर आकर विरोध करेंगे।

आपने और प्रकाशचंद सिंघई ने अपने लेखन, शिकायत एवं धर्म विरोधी कार्यों से कुण्डलपुर क्षेत्र को जितना नुकसान पहुँचाया है उतना तो औरंगजेब भी नहीं पहूँचा पाया था।

प्रकाशचंद सिंघई की मुस्लिम संस्कृति प्रेम तो आज भी कुण्डलपुर में प्रदर्शित हो रही है। जहाँ तक प्रकाशचंद सिंघई का सवाल है उन्होंने कभी इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया था कि क्षेत्र कमेटी को पूरे पहाड़ का अधिकार मिल जावे। वस्तुतः स्थिति यह है कि जब तक वे कमेटी में रहे वहाँ के समस्त रिकार्ड, कागजात अपने घर ले जाते रहे। अपने कार्यकाल में जब अध्यक्ष पद पर आसीन थे तब रिकार्ड की जितनी भी लीपापोती की और पद मुक्त होने के बाद भी चार्ज नहीं दिया तथा आज भी जितना रिकार्ड इनके पास है उतना तो क्षेत्र कमेटी के पास नहीं होगा। सदैव वे क्षेत्र कमेटी के खिलाफ आरोप लगाते रहे, शिकायतें करते रहे और अपना हित ज्यादा। क्षेत्र का जितना नुकसान प्रकाशचंद सिंघई ने किया है उसमें भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इनके बारे में जितना लिखा जाये उतना ही कम है।

नीरज जी आपको अनेक लोगों का सहयोग इस पुस्तक के लिये चाहे उपलब्ध सामग्री के रूप में हो या आर्थिक मदद के रूप में आपने प्राचीनता को नष्ट करने के नाम पर जो बम नवीनता पर गिराया है उससे कुण्डलपुर क्षेत्र की नवीनता और प्राचीनता दोनों ही आहत हुई है। जो हानि आपने अपनी पुस्तक के द्वारा पहुँचाई है उसे इस क्षेत्र की अधिकांश जैन समाज क्षमा नहीं करेगी। आपने बड़े बाबा के श्रद्धालुओं और भक्तों के दिल

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

को ठेस पहुँचाई है उसके लिये आप कभी भी क्षमा पाने के अधिकारी भी न रहेंगे।

इस देश की संस्कृति को जितना नुकसान महमूद गजनवी, मुहम्मद गौरी और नादिर शाह ने पहुँचाया है उससे भी ज्यादा नुकसान आपने जैन संस्कृति और जैन धर्म को आपने अपनी पुस्तक "कराहता कुण्डलपुर" के द्वारा पहुँचाया है। आपने सदैव अपने लेखन के द्वारा जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं को भड़काया है इसलिये तो आप जिस जगह जाते है लुक छिपकर जाते है। और अंत में- इतना याद रखें कि अच्छे काम में जो विघ्न डालते हैं वे इतिहास के कूड़ेदान में पाये जाते हैं।

अजीत मोदी
सी-8, हाऊसिंग बोर्ड
कालोनी, दमोह

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भाग - पाँच

आचार्यों एवं मुनिराजों के नाम का दुरूपयोग

नीरज जी ने अपनी इस पुस्तक में अपनी कुत्सित योजना में बेवजह अनेक दिगम्बर जैन आचार्यों, मनिराजों के नामों का उल्लेख करते हुये इस मुहिम के लिये उनका आशीर्वाद प्राप्त होने का दावा किया है जो कि एकदम खोखला है। पूज्य आचार्य श्री पदमनंदी जी महाराज का कुण्डलपुर कमेटी को लिखा पत्र यहाँ दिया जा रहा है :-

आचार्य श्री पद्मनंदि जी महाराज की राय

दिनांक 14-03-2000 वीर संवत 2526 फाल्गुन सुदी नवमी।

अष्टानिका पर्व में नवमी के दिन बड़े बाबा का दर्शन मध्यान्ह में बड़ी भक्ति पूर्वक किया। भगवान के सन्मुख सिद्ध केवली के चरणों का

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

दर्शन किया। मंदिर के चारों ओर भगवान के मंदिर हैं उनका भी दर्शन किया। साथ में संतोष कुमार जी सिंघई दमोह वाले अध्यक्ष तथा इनके साथ कोषाध्यक्ष, निर्माण मंत्री, धर्म प्रचार मंत्री आदि श्रावक और त्यागी जी भी राकेश जी के साथ में थे। उन्होंने मंदिर का अवलोकन कराया। हर स्थान में मंदिर के खंबे क्रेक थे और मध्य में उसके सपोर्ट लगे हुए दिखाई दिए। बाहर में जाकर मंदिर को देखा तो दिवालों में भी ऊपर कोई ठोस नींव दिखाई नहीं दी। जिस प्रकार कच्ची दिवालें बनाई जाती हैं उसी प्रकार दिखाई दिया। मूर्ति का ऊपर से अभिषेक हुआ तथा मूर्ति में क्रेक के निशान दिखाई नहीं दिए, वह मूर्ति की बनावट ही इस प्रकार की है। सुंदर ढंग से मंदिर बने तथा जैसे भगवान यहाँ विराजमान हैं वैसे ही विराजमान होवें। पुरातत्व कुछ विशेष दिखाई नहीं दिया। हमारा सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद है इनके कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति होवे।

आचार्य पदमनंदि महाराज

पूज्य मुनि श्री वरदत्त सागर जी महाराज का कुण्डलपुर कमेटी का दिया आशीर्वाद इस प्रकार है :-

मुनिश्री वरदत्त सागर जी महाराज की राय

दिनांक 14-05-2000

कुण्डलगिरी सिद्धक्षेत्र के अध्यक्ष जी को परम पूज्य आचार्य रत्न देशभूषण महाराजजी के शिष्य मुनि श्री वरदत्त सागर महाराजजी का शुभाशीर्वाद। बुन्देलखण्ड के सिद्धक्षेत्र तथा अतिशय क्षेत्रों के दर्शन करते-करते दिनांक 9-5-2000 को हमारा ससंघ आगमन कुण्डलगिरि सिद्धक्षेत्र पर हुआ। बहुत दिनों से कुण्डलगिरि सिद्धक्षेत्र के अध्ष्ठिाता बड़े बाबा के दर्शनों की अभिलाषा थी। उनके दर्शन से तथा क्षेत्र के अन्य मंदिरों के दर्शनों से बहुत ही प्रसन्नता हुई। यहाँ के मंदिरों की स्वच्छता

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

और सुव्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी।

क्षेत्र पर बड़े बाबा का मन्दिर विशाल बनाने के लिए जो नया मंदिर बनाया जा रहा है वह आपकी निर्माण योजना वास्तविक सराहनीय है। क्योंकि भक्तगणों की भीड़ अधिक होने से छोटे से मंदिर में लोगों को पर्याप्त स्थान नहीं मिलता। अधिक समय तक बाबा के सामने बैठकर भक्ति नहीं कर पाते। इस निर्माण कार्य में आपका केवल एक ही लक्ष्य है कि भक्तगणों की सुविधा हो। परन्तु कहा है कि 'श्रेयांसि बहुविघ्यानि' अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न आते रहते हैं, फिर भी महाभयंकर अंधकार को देखकर क्या कभी प्रकाश भय से भागता है। नहीं, प्रकाश की एक छोटी सी किरण भी समस्त अन्धकार को क्षण मात्र में भगा देती है। उसी प्रकार आप भी कष्ट और विघ्नों की ओर घ्यान न देकर अपने कर्तव्य और अपने लक्ष्य को पूरा करें। यही आपका कर्तव्य है। आपको इस जनकल्याण के कार्य में सफलता मिले, आपके पापों का नाश होवे, पुण्य संचय होवे और परंपरा से मुक्ति की प्राप्ति होवे यही हमारा शुभाशीर्वाद।

मुनिश्री वरदत्त सागरजी महाराज

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भाग - छह

बड़े बाबा को बड़े मंदिर में देखना चाहते हैं भक्तजन

सन् 1995 में यह बात सामने आई कि कुण्डलपुर के 'बड़े बाबा' के गर्भगृह का स्थान संकुचित, प्रकाशरहित तथा यात्रियों की संख्या को देखते हुए दर्शन पूजन के लिये अत्यन्त असुविधाजनक है। अतः गर्भगृह का विस्तार होना चाहिए। शिल्पकार, वास्तुविद एवं इंजीनियरों से परामर्श करके 'बड़े बाबा' मंदिर एवं परिसर का जीर्णोद्धार विस्तारीकरण तथा नवीनीकरण की रूपरेखा बनाई गई। तदन्तर कार्य की शुरूआत सिंहद्वार के निर्माण से हुई। निर्माण कार्य में कागजी बाधायें आईं, उन्हें पार कर निर्माण कार्य भी चलता रहा। शुभ कार्यों में विघ्न बाधायें आती हैं, यह समझकर निर्माण कार्य निरन्तर चलता रहा। तबसे अब तक विगत चार–साढ़े चार वर्षों में जन–जन की आकांक्षा बड़े बाबा को एक विशाल परिसर में विराजमान होती देखना चाहती है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आज हर तरफ से उपद्रव होने की आशंका शुरू हो गई है किन्तु सबके मन में एक बात सामने है कि आराध्य देव की मूर्ति की सुरक्षा एवं पूज्यता पर कोई आंच न आने पाये। कई माध्यम से और अलग-अलग तरीकों से लोग उक्त प्रयासों में हैं, चाहे वे श्रावक हों, सरकारी हो, या प्रबन्धन/निर्माण से जुड़े लोग हों।

पिछले कुछ महीनों से कुछ भाइयों द्वारा कभी मंदिर के जीर्णोद्वार अथवा जीर्ण-शीर्ण भाग को नवीनीकरण करने के विरोध में तो कभी बड़े बाबा की मूर्ति में दरारें दिखने के कारण, कभी मूर्ति के क्षरण एवं क्षति की आशंका से कोई गैर कानूनी निर्माण बताकर, कोई नेतागिरी का यश लूटने के लोभ से, तो कोई किसी के साथ पैदा हुए द्वेष के कारण भी नवीनीकरण/निर्माण के विरोध में खड़े हो गये हैं और समाज को भ्रमित कर रहे हैं।

समझ में नहीं आता कि समान उद्देश्य को प्राप्त करने में इन विभिन्न लोगों के अलग-अलग कार्य कलाप जो परस्पर में विरोधी हैं, कैसे प्राप्त कर पायेंगे। इन लोगों के मन में क्या है और क्या करना चाहते हैं ?

आज की वर्तमान स्थिति में विरोधी भाइयों के क्या रचनात्मक सुझाव हैं? जिससे बड़े बाबा की सुरक्षा, पूज्यनीयता, उनकी गरिमा, तथा मूल उद्देश्य के अनुसार गर्भ गृह का विस्तारीकरण हो सके। अभी तक आलोचना एवं विरोध सामने आया है। मेरी जानकारी में कोई भी सुझाव, सम्यक् मार्ग, किसी विरोधी श्रावक का तन, मन और समर्पण, बड़े बाबा को अगले हजार वर्षों तक स्थायित्व प्रदान करने नहीं आया। मात्र बाधायें खड़ी करने, अकुशलता एवं लॉछन का टीका लगाकर प्रबंधकीय जनों को कोसने की अपेक्षा आज की स्थिति में क्या करणीय है यह तो कहो ?

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

जरूरत है– रचनात्मक सहयोग, सद्भाव, शांतिपूर्ण माहौल एवं अपने अपने प्रभाव अथवा रूतवे का सरकारी और अन्य बाधाओं को दूर करने में उपयोग करने की एवं समर्पित होकर आराध्य बड़े बाबा के चरण सानिध्य में बैठकर उन्हें प्रणाम कर उनसे आशीष लेकर योजना प्रस्तुत करके, निर्माण कार्य सम्पन्न कराने में सहयोग करने की।

कानून अंधा होता है, यह कहावत आज भी लागू है, कौआ कान ले गया जैसी बातों से सरकारी अमलों ने भी कथित कानून की छाया में इस पूज्यनीय स्थल के निर्माण में अब सक्रिय हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उन्हीं तत्वों द्वारा प्रणति है, जो बड़े बाबा की पूज्यनीयता को अक्षुण्य बनाये रखना चाहते हैं? यह संभव है कि कार्य योजना में अकुशल हाथों या प्रबंधन को सही तकनीकी सलाह न मिलने के कारण खामी रही हो। पर वह समय बीत गया है। क्या होगा इस निर्माण की स्थिति में आज आलोचना एवं आगे कदम बढ़ाने से ?

यदि हम बड़े बाबा की अपूर्व गरिमा में चार चांद लगाना चाहते हैं, तथा जन–जन में उनके सम्यक विशालता के दर्शन सुलभ कराना चाहते हैं तो आगे आयें, बैठें, परस्पर बात करें और आज की निर्मित स्थिति में अपनी रचनात्मक योजना के तहत निर्माण कार्य में तन–मन से समर्पण करें। हम संसारी प्राणी हैं, संबंध बनाये रखना चाहते हैं किसी से राग के तो किसी से द्वेष के। अतः जिसके उदय में जैसे जैसे कर्म आयें वैसे वैसे करणीय/अकरणीय कदम बढ़े। मुझे लगता है संस्कारों का दोष संभवतः नहीं है। वे तो भले हैं पर दुष्कर्मों का जो उदय है वह प्रबल विद्वेष, दुष्कर्म के लिये प्रेरित कर रहा है।

वर्तमान का पुरूषार्थ उसी करणीय में लगा हुआ है, उसे सत्कर्म की तरफ मोड़ने की आवश्यकता है। आर–पार की आक्रामकता राजनीति

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

छोड़कर शांति खोजने एवं बड़े बाबा का सानिध्य, सामीप्य एवं दर्शन सुलभ कराने का प्रयास हम सभी श्रावकों को अविलम्ब करना चाहिए।

आज की दुनिया में जब दो परस्पर विरोध में खड़े होते हैं तो आक्रामक या तो हिंसा पर उतारू होते हैं या शासन से गुहार लगाकर अदालत का सहारा लेकर अपने उग्रवाद का समर्थन कर अपनी बात थोपना चाहते हैं। दूसरा पक्ष बचाव करता है, अपनी बात भी अदालत के सामने रख न्याय चाहता है और यदि उसके भी तेवर चढ़े हों तो अदालत (खास कर धार्मिक मामलों में) अनिर्णीत दिशा में ऐसी स्थिति टालने की गरज से यथा स्थिति लागू कर देती है या फिर ज्यादा खतरा लगे तो प्रतिबंधित स्थिति जैसा निर्णय देती है।

इस प्रकरण के भाग्य में क्या लिखा है– क्या बड़े बाबा को गर्भगृह में बन्द कराकर सीखचों से दर्शन का लाभ देने की स्थिति हम श्रावक पैदा कर देंगे? क्या हम सब समाज के लोग मूक दर्शक बने यह अनिष्ट होता देखना चाहते हैं?

कई धार्मिक स्थलों के ऐसे विरोधी प्रकरण आपने पढ़े, देखे, सुने होंगे। और इसी भयावह भविष्य की स्थिति की आशंका को प्रबल होता देख हृदय भय से कॉप उठता है। हम क्या करना चाहते थे ? और क्या कर रहे हैं ? यह विचार समाज करे ?

बड़े बाबा की जय

ब्र. अमरचन्द जैन
सुपुत्र पं. श्री जगनमोहनलाल जी जैन
एम.ए., बी.कॉम.
श्री महावीर उदासीन आश्रम
कुण्डलपुर (दमोह) म.प्र.

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भाग - सात

सांच को, आंच क्या

झूठ का पुलिंदा है, कराहता कुण्डलपुर

दिगम्बर जैन समाज के स्वयं–भू विद्वान नीरज जैन सतना, ने अत्यंत कुटिलतापूर्वक तथ्यों को तोड़ मरोड़कर शब्दों का खेल,खेलकर समाज को एक पुस्तक दी है 'कराहता कुण्डलपुर'। ऐसा लगता है कि पद की लालसा, आत्मप्रशंसा और विद्वत्ता की अपच ने नीरज जी की मानसिक स्थिति को अस्थिर कर दिया है। 'कराहता कुण्डलपुर' नीरज जी की पहली हरकत नहीं है इससे पहले वे गौशाला और भाग्योदय तीर्थ के खिलाफ भी कलम चला चुके हैं। यह संयोग ही है कि नीरज की कलम उन्हीं योजनाओं के खिलाफ उठती है जिन्हें आचार्य, मुनिराजों का मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता है।

पुस्तक के लेखक नीरज जी के कारनामों से मध्यप्रदेश के

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

बुंदेलखण्ड तथा विंध्य की जागरूक समाज अच्छी तरह वाकिफ है इसीलिये उनकी इस पुस्तक को उनके गृह प्रदेश में किसी ने तवज्जो नहीं दी बल्कि 'नीरज की एक और हरकत' अथवा 'कराहता नीरज' कहकर निरस्त कर दिया। इस पुस्तक के चालाक और धूर्त लेखक ने पुस्तक को देश के विद्वानों तथा जैन पत्र–पत्रिकाओं को भेजकर कुण्डलपुर के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चला दिया है। लेखक ने कुण्डलपुर के बड़े बाबा के भक्तों की भावनाओं को उभारने के लिये अपनी कुत्सित मानसिकता का प्रयोग करते हुये पुस्तक के लगभग हर पेज पर बड़े बाबा की मूर्ति में दरार पड़ जाने की बात कही है। पुस्तक प्रकाशन के बाद अनेक निरीक्षणों ने लेखक के इस दावे को अब तक का सबसे बड़ा झूठ करार दिया है।

मैंने यह पुस्तक किसी का विरोध करने अथवा कुण्डलपुर कमेटी की ढाल बनने नहीं लिखी है। मेरा उद्देश्य समाज के सामने वास्तविकता रखना है। कुण्डलपुर को लेकर देशभर में फैल रहीं झूठी अफवाहों को रोकना तथा समाज विरोधी तत्त्वों पर अंकुश लगाना है। इस कार्य में मुझे पूरे देश की समाज के सहयोग की आवश्यकता है। एक अकेले नीरज जी और उनके मुट्ठी भर साथियों ने तीर्थ की आड़ में जो गंदगी फैलाई है उसे रोकना जरूरी है।

नीरज चरित्र

सतना निवासी नीरज जैन का नाम राज्य शासन की सूची में एक 'मूर्ति चोर' के रूप में दर्ज है। पुरातत्त्व महत्त्व की मूर्तियों की चोरी और उसकी तस्करी से अपना जीवन प्रारंभ करने वाले नीरज जैन के बारे में अभी कई तथ्य ऐसे हैं जिनके उजागर होने पर इस फर्जी विद्वान के चेहरे का नकाब हट जायेगा।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

यह तथ्य है कि पुलिस ने नीरज के घर से 127 पुरातत्त्व महत्त्व की मूर्तियाँ जप्त की थीं तथा 14 वर्ष न्यायालय में प्रकरण चला। निचली अदालत ने उन्हें दोषी मानकर सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा। सतना का बच्चा-बच्चा इन्हें मूर्ति चोर के नाम से जानता है। जैन समाज ने 18 फरवरी 1989 को कुण्डलपुर में एक प्रस्ताव पारित कर नीरज जी को समाज की विद्वत्त परिषद की सदस्यता से बेदखल करने को कहा था ।

प्रस्ताव

कुण्डलपुर, दिनांक 18-2-89

दिनांक 23-2-69 से 2-4-69 के मध्य श्री नीरज जैन, सतना के घर में 127 कलाकृतियाँ जब्त की गयीं। उनके साथी श्री बी.एल. खन्ना के घर से भी विभिन्न तिथियों में 102 मूर्तियाँ जब्त की गयीं। यह मूर्तियाँ कलचुरीकाल की महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ थीं जो रीवा के गोरगी ग्राम के संरक्षित क्षेत्र से विदेशियों को बेचने के लिये खुदाई करवाकर प्राप्त की गयीं थीं।

श्री नीरज जैन के विरूद्ध ता0 हि0 के अन्तर्गत अपराध कायम कर मुकदमा दायर किया गया जिसका निर्णय दिनांक 6-6-83 को श्रीमान सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/70 में किया जिसमें माननीय न्यायालय ने श्री नीरज जैन को बहुमूल्य कलाकृतियों की चोरी, आपराधिक षड़यंत्र, बेईमानीपूर्वक चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करने एवं आदतन ऐसी सम्पत्ति के संव्यवहार करने के अपराध में धारा 120-ब, 411 एवं 413 के लिये दोषी पाया और प्रत्येक जुर्म के लिये 1-1 हजार अर्थदण्ड दिया।

अपील में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने अपील क्रमांक

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

927/83, 928/83 एवं 680/83 में दिनांक 19–9–88 को निर्णय दिया जिसमें माननीय न्यायालय ने श्री नीरज जैन एवं उनके अन्य साथियों के दण्ड की पुष्टि की और अपराधी पाया। उच्च न्यायालय ने म.प्र. राज्य शासन की प्रकरण के प्रति उदासीनता पर भी गंभीर टिप्पणी की।

श्री नीरज जैन का उक्त कृत्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का है जिससे समाज का नाम भी कलंकित हुआ है। इस दण्ड के अपराधी पाये जाने के कारण श्री नीरज जैन विद्वत परिषद जैसी पवित्र संस्था के सदस्य रहने के अयोग्य हो गये हैं। अतः मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें परिषद की सदस्यता से अविलम्ब वंचित किया जाये।

प्रस्ताव – अरूण मोदी।

समर्थक – सत्यंधर कुमार सेठी, उज्जैन।

ऐसा ही एक प्रस्ताव समाज ने 5 अक्टूबर 1991 को अमलाई में पारित किया जिसमें देश की जैन समाज से अपील की गई थी कि मूर्ति चोर नीरज जैन का कहीं भी सम्मान न किया जाये।

जैन समाज से अपील

मूर्ति तस्करी रोकने हेतु दिगम्बर जैन महासमिति जयपुर के प्रस्ताव के संदर्भ में श्री नीरज जैन, सतना का सार्वजनिक सम्मान न करें

साहू श्री अशोक कुमार जैन की अध्यक्षता में जयपुर में सम्पन्न दिगम्बर जैन महासमिति के अधिवेशन में मूर्ति तस्करी रोकने हेतु डॉ० राजेन्द्र कुमार बंसल, अमलाई द्वारा प्रस्तुत तथा सर्वश्री माणकचंद लुहाड़िया एवं हुकुमचंद 'अनिल' द्वारा समर्थित महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से करतल–ध्वनि के मध्य स्वीकृत किया। प्रस्ताव में जैन समाज से अपील

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

की गयी है कि मूर्ति तस्करी के अपराधी को कोई जमानत या कानूनी सहायता या संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। मूर्ति तस्करी के अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को किसी जैन संगठन या संस्था का पदाधिकारी या सदस्य नहीं बनाया जावेगा और न ही उसका सार्वजनिक रूप से अभिनंदन/सम्मान किया जावेगा।

इस प्रस्ताव में केन्द्रीय एवं राज्य शासन से अनुरोध किया गया है कि वे अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस संगठनों का सहयोग लेकर मूर्ति तस्करी का पर्दाफाश करें और अपराधियों को कठोर दण्ड दिलायें। शासन से यह भी अपेक्षा की गयी है कि दी एण्टीक्वीटीज एण्ड आर्ट ट्रेजर एक्ट, 1972 की खामियों को दूरकर पंजीयन के पूर्व पुरावशेषों की प्राप्ति के स्रोत की संतोषजनक जानकारी होने पर ही? किया जाये अन्यथा पुरावशेषों को राज–सात किया जाये।

दिगम्बर जैन महासमिति के उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में जैन समाज एवं सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का ध्यान समन्वयवाणी, जयपुर के वर्ष 1988 के अंकों में नीरज जैन बे–नकाब के नाम से 'मूर्ति तस्करी एवं भंजकों की कहानी अदालत की जुबानी' के नाम से प्रकाशित धारावाहिक लेख की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें जैन समाज के कथित विद्वान एवं पुरातत्ववेत्ता सतना निवासी श्री नीरज जैन के मूर्ति तस्करी संबंधी कुकृत्यों का पर्दाफाश किया है।

श्री नीरज जैन एवं उनके अन्य सहयोगियों के विरूद्ध सन् 1968 में आपराधिक प्रकरण क्रमांक 38/70 सेसन जज रीवा के समक्ष कायम कर शासन द्वारा चलाया गया था। उन्हें और उनके साथियों को न्यायालय के निर्णय दिनांक 6–6–83 द्वारा भारतीय दण्ड विधान की

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

धारा 120–बी, 411 एवं 413 के अन्तर्गत दोषी मानते हुये एक–एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 120–बी, आपराधिक षड़यंत्र, धारा 411 बेईमानी पूर्वक चोरी की सम्पत्ति प्राप्त करने एवं धारा 413 आदतन चोरी की सम्पत्ति के संव्यवहार करने से संबंधित है। श्री नीरज जैन ने इस निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष क्रिमिनल अपील नं. 680/83 दायर कर अर्थदण्ड को समाप्त करने हेतु अपील की तथा राज्य शासन ने भी इस निर्णय के विरूद्ध अपील कर अभियुक्तों को सजा बढ़ाने हेतु निवेदन किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने उभयपक्षों के तर्क सुनकर दिनांक 19‘9–88 को अपना फैसला सुनाया जिसमें श्री नीरज जैन को धारा 120–बी, 411 एवं 413 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी मानते हुये उनको दिये गये दण्ड को कायम रखा। माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने निर्णय के पद 7 में यह स्पष्ट उल्लेख किया कि नीरज जैन के घर से जो मूर्तियां जब्त की गयी हैं वे गोरगी कला की बहुमूल्य प्राचीन मूर्तियां थीं जिन्हें श्री नीरज जैन, बिहारीलाल खन्ना के साझीदार के रूप में श्री यज्ञनारायण एवं अन्य ग्रामीणों से प्राप्त करते थे। यह बात रिकार्ड के अनुसार सिद्ध पायी गयी। निर्णय के पद 8 में भी माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह स्पष्ट किया है कि अदालत यह मानते हुए अधिकृत है कि वे मूर्तियां चुराई गयी हैं और नीरज जैन यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि उन्होंने किस कानूनी ढंग से इन मूर्तियों को प्राप्त किया है। इस प्रकार नीरज जैन को अदालत ने उक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराधी पाकर उनको दी गयी सजा की पुष्टि की। माननीय न्यायालय ने इस प्रकरण में दर्शायी गयी शासकीय उपेक्षा पर भी टिप्पणी की।

जैन समाज के सभी संगठनों–संस्थाओं, आचार्यों–मुनियों–

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आर्यिकाओं एवं अन्य सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे मूर्ति तस्करों को मूर्तियों को बेईमानी एवं आदतन प्राप्त करने वाले श्री नीरज जैन को महासमिति के उक्त संकल्पानुसार किसी भी संस्था का सदस्य या पदाधिकारी न बनावें और न ही उनका सार्वजनिक सम्मान-अभिनंदन एवं शास्त्र वाचन हेतु आमंत्रित करें। मूर्तियों एवं कलाकृतियों की तस्करी रोकने हेतु जैन समाज का यह संकल्प निश्चित ही अन्य समाज के लिये दिशाबोधक तो है ही, देश के प्राचीन वैभव को सुरक्षित रखने का विनम्र प्रयास भी सिद्ध होगा।

हस्ता.	हस्ता.	हस्ता.
हुकुमचन्द जी जैन	राजेन्द्र कुमार बंसल	अमरचन्द जैन

इन प्रस्तावों और लेखों से नीरज जैन चरित्र का एक पक्ष देखने को मिला। मेरी राय में नीरज जैन अत्यंत चालाक, धूर्त, आत्म प्रशंसक, पद लोलुप व्यक्ति हैं। सागर के भाग्योदय तीर्थ में सिर्फ पद न मिलने के कारण इस व्यक्ति ने भाग्योदय तीर्थ की पवित्र, पावन योजना को पलीता? लगाने की पूरी कोशिश की। अपने हर लेख में स्वयं को साहसी और सम्पूर्ण समाज को दुर्बल बताने वाले नीरज जी स्वयं को धमकियाँ मिलने, धमकाने वाले पत्र मिलने का उल्लेख करके अपने प्रति झूठी वाहवाही लूटने का भी प्रयास करते हैं। अपने जीवन में ऐसा आत्म-प्रशंसक नहीं देखा जो मंच-माइक मिलते ही स्वयं के गुणगान में लग जाता है। मैं बधाई देता हूँ भाग्योदय तीर्थ के पदाधिकारियों, सागर की जैन समाज को जिसने इस तीर्थ के निर्माण को लेकर नीरज जैन की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुये उन्हें अपने क्षेत्र से खदेड़ दिया था।

प्रलाप या विरोध क्यों ?

बुंदेलखण्ड के प्रसिद्ध तीर्थ कुण्डलपुर के नये विवाद का कारण

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

स्पष्ट है। दमोह निवासी श्री संतोष सिंघई तथा श्री प्रकाश सिंघई आपस में कुटुम्बीजन हैं। पहले श्री प्रकाश सिंघई कुण्डलपुर तीर्थ क्षेत्र के कर्ताधर्ता थे अब इस कमेटी के अध्यक्ष श्री संतोष सिंघई हैं। हारी हुई कमेटी के मुखिया श्री प्रकाश सिंघई को अब कुण्डलपुर कमेटी के हर काम में कमी नजर आती हैं। कमेटी के नये अध्यक्ष श्री संतोष सिंघई ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में बैठकर कुण्डलपुर के विकास की योजना बनाई थी। सिर्फ यहाँ की कमेटी ही नहीं बल्कि बुंदेलखण्ड का बच्चा बच्चा पहाड़ पर बड़े बाबा के दर्शनार्थ एक भव्य, आकर्षण तथा मनोहारी मंदिर के निर्माण के पक्ष में हैं। समाज की भावना है कि पहाड़ पर ''बड़े बाबा'' का पत्थर निर्मित ऐसा मंदिर बनाया जाये जो आने वाले हजारों वर्षों तक इस विरागता के वैभव का गुणगान कर सके।

कहाँ से मिल रहा है विरोध के लिये धन ?

यह सभी जानते हैं कि कुण्डलपुर में श्री संतोष सिंघई तथा श्री प्रकाश सिंघई का कमेटी में पदों को लेकर आपस में भाईचारा होते हुये भी गहरा विवाद है। श्री प्रकाश सिंघई किसी तरह श्री संतोष सिंघई के नेतृत्व वाली कमेटी के प्रत्येक कार्य को गलत ठहराने के आदी हैं। चूंकि कुण्डलपुर में विशाल मंदिर के निर्माण की योजना श्री संतोष सिंघई के कार्यकाल की है जिसे श्री प्रकाश सिंघई नहीं पचा पा रहे। इधर भाग्योदय तीर्थ का भरपूर विरोध करने पर वहाँ से ठुकराये, झुठलाये, अपमानित नीरज जैन को श्री प्रकाश सिंघई ने कुण्डलपुर में बन रहे विशाल मंदिर के विरोध के लिये तैयार कर लिया। समाज अच्छी तरह जानता है कि चाहे कुण्डलपुर हो, खनियाधाना हो, गोपाचल पर्वत हो, चंदेरी हो, लगभग सभी स्थानों पर हमें अपने ही मंदिरों और मूर्तियों की सुरक्षा, जीर्णोद्धार तथा अन्य मामलों में पुरातत्व विभाग तथा स्थानीय

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

जिला प्रशासन से दो–दो हाथ होना पड़ता है। कुण्डलपुर के विकास में कोई बाधा न आये इसीलिये कमेटी ने फूंक फूंककर कदम उठाये। नीरज जी का आरोप है कि उन्हें मंदिर के निर्माण की पूरी जानकारी कमेटी ने नहीं दी। कमेटी के सभी पदाधिकारियों को यह पता था कि– नीरज जी कमेटी की सभी जानकारियों को लेकर उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पुरातत्व विभाग को देकर विकास में बाधा पहुंचायेंगे इसीलिये उन्हें सम्पूर्ण जानकारी भेजने के बजाये कुण्डलपुर पहुंचकर निर्माण कार्य देखने का आग्रह किया गया था।

नीरज जी की भावनायें न तो बड़े बाबा के मंदिर से जुड़ी हैं और न ही यहाँ की मूर्ति से। इसका उदाहरण है कि उन्होंने देश भर में मनगढ़ंत अभियान चला दिया कि बड़े बाबा की मूर्ति में दरार पड़ गई है। देशभर के पत्र पत्रिकाओं में ऐसा माहौल बनाया कि समाज चिन्तित हो गया। पत्र–पत्रिकाओं की कटिंग के साथ नीरज जैन ने अपना आखिरी हमला पुरातत्व विभाग में बाकायदा शिकायत दर्ज कराकर किया। नीरज की तमाम हरकतों के बाद भी बड़े बाबा को जो मंजूर था वही हुआ– पुरातत्व विभाग की उच्च स्तरीय टीम ने कुण्डलपुर का दौरा किया– बड़े बाबा की मूर्ति का अवलोकन किया तथा मूर्ति में दरार के दावे को निरस्त कर दिया। यह समाचार 13 मई 2000 को जबलपुर दैनिक भास्कर में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है।

दैनिक भास्कर : 13 मई 2000

कुण्डलपुर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं

विगत दिवस देश के ख्याति प्राप्त जैन तीर्थ क्षेत्र कुण्डलपुर में पुरातत्व विभाग दिल्ली एवं म.प्र. पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ अधिकारीगण की एक उच्चस्तरीय नौ सदस्यीय निरीक्षक दल ने भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जिसे जैन समाज द्वारा बड़े बाबा के नाम से सम्बोधित किया

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

जाता है, के मंदिर एवं उसमें स्थापित प्रतिमा का सूक्ष्म अध्ययन एवं अवलोकन कर यह घोषित किया कि प्रतिमा में किसी भी रूप में कोई दरार नहीं है और न हीं उसमें किसी तरह के रंग अथवा रासायनिक पदार्थों का लेप किया गया है। पूर्व में प्रतिमा जी के संबंध में जो शिकायतें प्रेषित की गई थी वे पूर्णतया असत्य एवं निराधार हैं। उपरोक्त विचार दिल्ली एवं भोपाल से कुण्डलपुर निरीक्षण हेतु पहुंचे पुरातत्व विभाग के एक विशेषज्ञों के दल ने बड़े बाबा की मूर्ति के गहन अवलोकन के पश्चात अभिव्यक्त किये। ज्ञातव्य है कि स्थानीय कुछ शरारती, विघ्नकारी, असंतोषी तत्वों द्वारा आपत्तिजनक ढंग से फोटोग्राफी कर मूर्ति में दरार होने का देश भर में भ्रामक प्रचार किया जा रहा था जिसकी पुरातत्व विभाग को भी लिखित शिकायत की गई थी। उसके मद्देनजर पुरातत्व विभाग एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा विशेषज्ञों का एक सर्वेक्षण दल दिल्ली एवं भोपाल से निरीक्षण हेतु बुलाया गया था। निरीक्षण दल के विशेषज्ञों ने चिलचिलाती धूप में हजारों नर-नारियों की उपस्थिति में सम्पूर्ण क्षेत्र का सूक्ष्म अवलोकन कर जीर्ण-शीर्ण हो रहे मंदिरों की मरम्मत हेतु समिति को पुरातत्व विभाग से सहयोग लेने की सलाह दी उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग मंदिरों के जीर्णोद्वार हेतु एक करोड़ रूपयों तक आर्थिक मदद भी कर सकता है। जिस हेतु प्रारूप तैयार कर रहे हैं।

नीरज का यह दावा जब गलत साबित हो गया तब उन्होंने अपनी झूठ से रंगी किताब 'कराहता कुण्डलपुर' देश भर में मुफ्त बांटना शुरू कर दिया। यहाँ सवाल यह उठता है कि- जो नीरज जैन समाज के कार्यक्रमों में जाने के लिये समाज से लिफाफे में रकम मांगने में शरम नहीं करते, जिनका मंदिरों या तीर्थों के विकास में कोई योगदान नहीं, उन्हें कुण्डलपुर के विकास का विरोध करने के लिये धनराशि कहाँ से मिल रही है? बेशक उन्होंने अपनी पुस्तक की राशि पच्चीस रूपये रखी है किन्तु जगह-जगह यह पुस्तक निःशुल्क बांटी और भेजी जा रही है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आखिर कौन उन्हें इस विरोध के लिये धनराशि उपलब्ध करा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि– नीरज जी किसी समाज विरोधी व्यक्ति के हाथ की कठपुतली बनकर समाज का कोई बड़ा अहित करने पर उतारू हो। क्योंकि पहले गौशाला का विरोध, फिर भाग्योदय तीर्थ का विरोध और अब कुण्डलपुर के विकास का विरोध। एक जानेमाने तथा न्यायालय द्वारा सिद्ध मूर्ति चोर को समाज सम्मान देकर कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर रही? विचार करें, मनन करें, कुण्डलपुर के दर्शन करें, कमेटी कार्यालय में बैठकर योजनाओं को समझें फिर कोई निर्णय लें। जैन पत्र पत्रिकाओं के सम्पादक, संवाददाता भी कुण्डलपुर में बड़े बाबा के दर्शन करने के तथा चल रही विकास योजनाओं को देखने के बाद ही कोई राय प्रकाशित करें तो उचित होगा।

दिशा बोध के सम्पादक की राय

दिशा बोध पत्रिका के सम्पादक श्री चिरंजीलाल जी बगरा कलकत्ता ने स्वयं कुण्डलपुर जाकर बड़े बाबा के दर्शन किये हैं तथा उन्होंने राय दी है कि बड़े बाबा की मूर्ति में कोई दरार नहीं है। उन्होंने दिशा बोध के मई अंक में स्पष्ट लिखा है कि – पुरातत्व का हौवा खड़ा करके समाज को गुमराह किया जा रहा है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भाग - आठ

एक ठोस सबूत

ऐसे मूर्तियां चुराता था नीरज

कहावत है– हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? जब ठोस सबूत हाथ में हो तो किसी को सफाई देने की जरूरत क्या है ? ''कराहता कुण्डलपुर'' पुस्तक के कुण्ठित लेखक नीरज जैन का असली नाम नीरज नहीं है। आधी उम्र तक लोग उन्हें नत्थालाल के नाम से जानते थे। कहते हैं अपराधी अपने रूप बदलता रहता है और जालसाज अपने नाम। नीरज जैन ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियों की चोरी में लम्बे समय तक लगे रहे और इसी दौरान अपना असली रूप छिपाने के लिये कभी कवि का भेष रखा, कभी साहित्यकार हो गये, फिर मान न मान, मैं तेरा मेहमान की शैली में जैन समाज के स्वयं–भू विद्वान हो गये। अपने अतीत जीवन की गल्तियों की माफी मांग–मांगकर

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

मुनि संघों के निकट आये। सभी जगह राजनीति की, स्वार्थ सिद्धि की, समाज में फूट डलवाई। मैं फिर कहता हूं कि– सतना के वे लोग नीरज को कभी विद्वान नहीं मानते जिन्होंने उसे पुलिस की हथकड़ियों में खुली आंखों से देखा था। अगले अध्याय में आप सतना के निवासियों की नीरज के नाम पाती पढ़ेंगे तो समझ जायेंगे। मूर्ति चोरी के आरोप में नीरज जैन को सजा हुई थी।

न्यायालय के आदेश का हिन्दी रूपान्तरण यहाँ प्रस्तुत है।

न्यायालय सेसन्स जज इंदौर (म.प्र.)
पीठ - श्री आर.सी. खरे
सेसन्स ट्रायल नव. 38/70
मध्यप्रदेश शासन

बनाम/विरुद्ध

1. बिहारीलाल पुत्र द्वारका प्रसाद खन्ना, रीवा
2. नीरज जैन पुत्र लक्ष्मण जैन, सतना
3. महेश पुत्र केवलराम, गोरगी
4. छुन्धा पुत्र धनका कौल, गोरगी
5. अशोक पुत्र मुलुकराम (मृत)
6. भगवान सिंह पुत्र जगदीश सिंह

आरोपी - सेक्सन 379, 413/34 टी.पी.सी. एवं अन्य 30 (1)(2) प्राचीन स्मारक एवं आर्केलॉजीकल स्थल एवं अवशेष एक्ट 1958

श्री पी.एन. सिंह चौहान M.F.C. रीवा ने आपराधिक मामला 367/1970 दि. 29 अगस्त 1970 द्वारा

श्री माधव प्रसाद अग्रवाल शासन की ओर से।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

श्री रामपाल सिंह एडव्होकेट आरोपी बी.एल. खन्ना की ओर से।

श्री व्ही.एस. चंदेल आरोपी नीरज जैन की ओर से।

श्री डी.पी. सिंह एडव्होकेट आरोपी महेश एवं छुन्दा की ओर से।

श्री खरे आरोपी भगवान सिंह की ओर से।

निर्णय : घोषणा तिथि 6.6.83

1. आरोपी बिहारीलाल खन्ना को I.P.C. की निम्न धाराओं के तहत दोषारोपित किया गया। सेक्सन 120B, 413, 411 तथा 379 तथा सेक्सन 467, 471 एवं सेक्सन 30(1) तथा 25(1) सहपठित-39(2) प्राचीन स्मारक एवं आर्केलाजीकल स्थल एवं अवशेष एक्ट 1958

2. आरोपी नीरज जैन को दोषी माना गया सेक्सन 120B, 413, 411 IPC

   आरोपी महेश एवं छुन्दा को दोषारोपित किया गया सेक्सन 379 एवं 413 IPC तथा सेक्सन 31(1) एवं 25(1) सहपठित 30(2) प्राचीन स्मारक एवं आर्केलॉजीकल स्थल एवं अवशेष एक्ट 1958, आरोपी छुन्दा को 467 IPC का भी दोषी माना गया। आरोपी भगवान सिंह को दोषारोपित किया गया सेक्सन 379 IPC वैकल्पिक सेक्सन 379 सहपठित 109 IPC छुन्दा और महेश को गोर्गी क्षेत्र से पुरातत्व वस्तुओं को चुराने की शह देने के लिये आरोपी अशोक कपूर को सेक्सन 120B एवं 411 IPC के अंतर्गत दोषारोपित किया गया।

3. अभियोजन मामला यह है कि आरोपी व्यक्ति गोर्गी क्षेत्र से पुरातत्व की वस्तुयें खोदते, चुराते एवं ले जाते रहे भगवान एवं सुदर्शन (मृत) खोदने, चुराने, ले जाने में मदद करते जबकि आरोपी बिहारीलाल

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

खन्ना, नीरज जैन एवं अशोक कपूर मिलकर पुरातात्विक वस्तुओं, मूर्तियों को बेचते थे। अशोक कपूर की मुकद्दमे के दौरान मृत्यु हो गई। उन्होंने अनेकों पुरातात्विक वस्तुओं, मूर्तियों की तस्करी, जो कि गोर्गी क्षेत्र से चुराई गई थी, स्मगलिंग की तथा भारी दामों में बेचा। बिहारीलाल खन्ना के अहाते से अनेकों करीब 102 पुरातात्विक वस्तुयें बरामद की गई, 24.4.68 एवं 6.5.68 तथा 22.5.68 को तलाशी लेने पर। इसी प्रकार नीरज जैन के मकान की 23.2.60 एवं 2.4.60 को तलाशी लेने पर 27 पुरातात्विक वस्तुयेव बरामद की गई। अशोक कपूर के मकान से भी कुछ पुरातात्विक वस्तुयें बरामद हुईं।

4. ग्राम गोर्गी रीवा से करीब 10 मील दूर स्थित है एवं कहा जाता है कि प्राचीन शहर है। यह ग्राम कलछुरी शासन के दौरान 900 से 1200 विक्रम संवत के मध्य अपनी वैभव के उत्कर्ष पर था। यह ग्राम पुरातत्व विभाग द्वारा 1958 एक्ट के तहत सुरक्षित घोषित था। इस क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व की वेशकीमती वस्तुयें एवं मूर्तियां थी।

5. तीनों पक्षों को जो कि गोर्गी क्षेत्र को पुरातात्विक वस्तुओं, मूर्तियों की चोरी एवं अपराधों में 1967-68 में लिप्त थे Committel न्यायालय में चालान 17.5.69 को पेश किया गया तथा मामला सेसन कोर्ट में 21 अगस्त 70 को Committ किया गया। सेसन कोर्ट में सेसन ट्रायल 3.9.70 को प्रारंभ हुई तथा रिपील कोड आफ Criminal Procedure (No. V 07 1898) से अनुशासित है। मुकद्दमे में बहुत उतार चढ़ाव आये, अनेकों बाधायें आई, अंतरिम आदेशों की चुनौतियाँ एवं प्रक्रिया संबंधी सुप्रीम कोर्ट की बाधायें आईं। मुकद्दमे में कोर्ट के Presidira offieers एवं Prosecutors को भी बदला गया। अन्ततः 14.10.76 को गवाहों के साक्ष्यों को record करना प्रारंभ किया गया। 92 गवाहों के साक्ष्य अभियोजन के लिये रिकार्ड किये

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

गये तथा एक दर्जन बचाव पक्ष के रिकार्ड किये गये। अभियोजन ने 143 अभिलेख, उतनी ही संख्या में वस्तुयें एवं मूर्तियाँ प्रस्तुत की। बचाव पक्ष ने 22 अभिलेख प्रस्तुत किये। Trial Court की प्रक्रिया तक 14 वर्षों से कुछ अधिक समय लगा।

6. जैसा कि 6.1.77 की आर्डर शीट में नोट किया गया है अशोक कुमार की मृत्यु हो गई अतः अशोक कुमार से संबंधी मुकद्दमा को समाप्त मान लिया गया।

7. एक सह अपराधी यज्ञनारायण, सरकारी गवाह बन गया तथा PW. 89 के रूप में परीक्षण हुआ। उसकी प्रमाणिकता की विभिन्न मुद्दों पर आलोचना हुई। उसके कथनों की आलोचना के पहिले, यह आवश्यक है कि नीरज जैन के प्रार्थना पत्रों पर जो कि उन्होंने अपने बचाव पक्ष के प्रमाण में दिये थे, विचार कर लिया जावे।

8. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के बाद, दो आरोपी बिहारीलाल खन्ना, नीरज जैन बचाव पक्ष के गवाहों का परीक्षण चाहते थे। मेरे द्वारा उनका यह निवेदन अमान्य किया गया। कारण 19.9.81 की आर्डर शीट में है। जिसे उन्होंने अलग रिवीजन पिटीशन क्र. 597/81 एवं 604/81 द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में चुनौती दी। मेरा आदेश हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया एवं मुझे बचाव पक्ष के गवाहों का परीक्षण करने का आदेश दिया गया।

9. न्यायालय में मेरे समक्ष 8 बचाव पक्ष के गवाहों के बयान रिकार्ड किये गये। कुछ बचाव पक्ष के गवाहों को छोड़कर, 4 गवाहों के बयान Criminal code के Procedure के अनुसार Commission पर रिकार्ड किये गये। तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट मेरठ को Commission जारी किया गया कि मैनेजर नूतन पाकेट बुक्स का कमीशन परीक्षण करें। Commission का Executed शुरूआत में नहीं हो

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

पाया। रिमाईन्डर के बाद नूतन बुक डिपो के मैनेजर का स्टेटमेंट 18.2.83 को Commission पर रिकार्ड किया गया।

10. नीरज जैन के विद्वान वकील ने अनेकों आवेदनों में माँग की कि नूतन बुक डिपो मेरठ से संबंधित व्यक्तियों के बयानों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं रिकार्ड नहीं किया गया है बल्कि जिला एवं सत्र मजिस्ट्रेट ने, जिला न्यायाधीश मेरठ के निर्देश पर एक वकील द्वारा रिकार्ड कराया गया है। विद्वान वकील के मतानुसार एडव्होकेट द्वारा रिकार्ड कथन निरर्थक है क्योंकि यह अवैधानिक एवं निम्न स्तर का है।

11. अभियोजन द्वारा आपत्ति को मान्य नहीं किया गया क्योंकि आरोपी का मामला यह नहीं था कि कमीशन वाले एडव्होकेट ने गवाह के कथन को सही-सही एवं ईमानदारी से रिकार्ड नहीं किया है। अतः इस प्रकार रिकार्ड किये गये बयान के विरुद्ध आपत्ति नहीं की जा सकती। आपत्तियों को निरस्त किया गया एवं कथन को बचाव पक्ष के अंश के रूप में पढ़ा जावे।

12. मैंने बचाव पक्ष के सभी सलाहकारों के एवं अभियोजन पक्ष के सभी तर्कों को सुना तथा मेरे पास उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिलेख हैं। मैंने उनका अध्ययन किया एवं चिन्तन किया।

13. बचाव के विद्वान सलाहकार ने प्रार्थना की कि approver (PW 89) को क्षमादान देने के पूर्व उसका बयान उचित रूप से रिकार्ड नहीं किया गया। उसका बयान 364 CRPC के प्रावधानों के विपरीत रिकार्ड किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान वकील ने भूल से 164 CRPC के बदले 364 CRPC का संदर्भ ले लिया।

14. साक्ष्य एक्ट सेक्शन 133 बताता है कि सहयोगी अपराधी आरोपी

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

के विरुद्ध सक्षम गवाह है तथा सजा/दण्ड केवल इसलिये अवैधानिक नहीं है क्योंकि वह सह अपराधी द्वारा Corroborati नहीं की गई है। कोर्ट सह अपराधी के एकल साक्ष्य पर आरोपी को सजा दे सकता है। राईडर उदा. (ए) सेक्शन 144 के तहत कोर्ट यह मान सकता है सह अपराधी विश्वास करने योग्य नहीं है जब तक कि कथन के लिये सह प्रमाण प्रस्तुत न करे। केश- (शिव विरुद्ध राज्य ATR 1963 S.C. 599 एवं सुभरामनिया विरुद्ध राज्य ATR 1958 Se 66)

15. आरोपी यज्ञनारायण ने कोर्ट को आवेदन किया कि उसे सरकारी गवाह बनाया जावे। जैसा कि कोर्ट की नोट शीट दि. 5.7.69 में लिखित है कि "कोर्ट ने आवेदन पर विचार किया एवं पाया कि तहसीलदार एवं द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट ने उचित रूप से आरोपी के बयान को 164 CRPC के तहत 9.5.69 को रिकार्ड किया है।

16. Ex D/17 सरकारी गवाह का यह बयान है जो तहसीलदार ने 9.5.69 को रिकार्ड किया था। Ex-D/7 में तहसीलदार ने उल्लेख किया है वह उचित रूप से 164 CRPC के अंतर्गत रिकार्ड किया गया था। अन्त में दो पैराग्राफ छोड़कर यज्ञनारायण ने Ex-D/7 में कहा है कि वह नहीं जानता था वह चोरी कर रहा है। इसका मतलब है कि चोरी की बात उसके दिमाग में नहीं किन्तु उसने सभी तथ्यों के बारे में साफ-साफ बयान दिये। चोरी का ज्ञान न हो, की बात कथनों में नहीं है। सम्पूर्ण रूप से पढ़ने पर उसके बयानों को पूर्ण रूप Excul palory नहीं कहा जा सकता। सरकारी गवाह (PW 89) के बयानों तथा जाँच अधिकारी (PW 92) की जाँच से यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि कोई प्रलोभन दिया गया।

17. विद्वान Committal न्यायाधीश ने आगे लिखा कि वह पूर्ण संतुष्ट है

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कि आरोपी ने परिस्थितियों, सह अपराधियों के बारे में अपने ज्ञान के अनुसार पूर्ण एवं सत्य बातें बतलाईं। अतः आरोपी द्वारा सेक्सन 337 (repeal) के लिये स्वीकृत की गई एवं विद्वान जज ने यज्ञनारायण को क्षमादान दिया एवं मामले में Approver स्वीकृत किया गया।

18. आरोपी ने एक आपत्ति उठाई कि आरोपी को सह अपराध के लिये 411, 413 IPC के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। दो पुराने मामले 8 Cal 634 (इम्प्रेस V उत्तम) तथा 19 Cal 190 EV बाबूराम का हवाला प्रस्तुत किया।

19. उत्तम के केश में कहा गया है-

कैदियों को एक ही Trial में चोरी की संपत्ति लेने, रखने (S. 411) एवं आदतन लेने, रखने, व्यापार करने (S. 413) के लिये मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता। दोनों अपराध एक ही प्रकार के नहीं है (S. 453) CRPC। उचित तरीका यह होता कि आरोपी पर पहले सेक्सन S-411 के तहत बाद में यदि दंडित हो जाता तो S-413 के तहत मुकद्दमा चलाया जाता। S-411 के दंड प्रमाण मानते हुये हमारी दृष्टि से S-411 के तहत दिया दंड पर्याप्त है तथा S-413 के तहत मुकद्दमा चलाना अनावश्यक है।

20. बाबूराम के मामले में कैदी को I.P.C. के 413 सेक्सन से आरोपित किया गया। उसे उस आरोप से मुक्त किया गया तथा आगे निम्नानुसार कथन किया गया।

"कैदी को जैसा कि होना चाहिये था सेक्सन S-411 के अन्दर आरोपित नहीं किया गया तथा जूरी को उस सेक्सन अन्दर उसे सजा नहीं देना थी। यह बड़े खेद की बात है कि उसे सेक्सन S-411 के तहत आरोपी नहीं बनाया। यह प्रभारी सेसन जज की बड़ी

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0 In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भूल है कि उस पर S-411 का आरोप नहीं लगाया।"

21. इस प्रकार यद्यपि उत्तम केस (सुपरा) से इस तर्क को मदद मिलती है कि सेक्सन 411 एवं 413 I.P.C. एक साथ एक ही trial में नहीं चलते, फिर भी बलराम केस (सुपरा) इसे विपरीत संकेत देता है। आगे, उत्तम केस भी यह विधान नहीं कि यदि एक साथ 411 & 413 I.P.C. के तहत आरोप लगाये जाते तो Trial दोषमुक्त है।

22. इसका एक अन्य पक्ष भी है जैसा कि आरोपी नीरज जैन के मामले में श्री गुलशेर अहमद ने लिखित तर्क में उल्लेख किया है कि आरोपी ने रिवीजन पिटीशन द्वारा हाईकोर्ट में मुकद्दमा दायर किया है दि. 1.5.72 सेक्सन 413 IPC लगाने के खिलाफ। चूँकि इस रिवीजन पिटीसन पर जोर नहीं दिया गया, अतः उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। अतः आरोपी अब उसी मुद्दे को न्यायालय में उठाने का मौका नहीं है तथा उस आधार पर वैधानिक आपत्ति सेक्सन 411 एवं 413 IPC एक साथ लगाने पर खड़ी नहीं की जा सकती।

23. आगे के तथ्यों पर जाने के पहिले यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि आरोपी बिहारीलाल, महेश और छुन्दा के खिलाफ 30 प्राचीन स्मारक इत्यादि के तहत अपराध आरोपित है। उस अपराध के लिये आरोपी नीरज जैन पर प्राचीन स्मारक के तहत दोष नहीं लगाया गया है। नीरज जैन के विरुद्ध तत्कालीन सेसन जज़, रीवा श्री एम.डी. भट्ट ने शीट नं. 96 में केवल तीन धाराओं अर्थात् 120B IPC 413 एवं 411 के अंतर्गत दोषी माना है।

नीरज जैन की तरफ से प्रस्तुत दि. 9.5.83 की लिखित दलील में जो कि शीट नं. 6 पर अंकित है, इस तथ्य के बावजूद कि नीरज जैन को अन्य लोगों के साथ सेक्सन 39 (1) प्राचीन स्मारक एवं

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आर्केलॉजी स्थल, अवशेष एक्ट 1958 के तहत indict किया गया है। इसके उपरांत कुछ आलोचनायें हुई कि नीरज जैन IPC के तहत क्यों दोषी बनाया गया है जबकि वे कार्य प्रा.स्मा. एवं आर्के. स्थल अवशेष 1958 के अंदर आ जाते हैं।

24. मैंने पूर्व में ही लिखा है यज्ञनारायण (PW 82) को क्षमादान दिया था क्योंकि वह सरकारी गवाह हो गया था। उसका Prosecution गवाह की तरह परीक्षण हुआ। उसका कथन परीक्षण योग्य है।

उसका बयान (PW 89) पैरा 1 व 2 में है।

1. मूर्तियां निकलवाने का काम चल रहा है। छुन्दा कोल और सुदर्शन खुदाई का काम कर रहे हैं अगर आप इस काम को करना चाहें तो स्थान खाली है। खोदी हुई मूर्ति मेरे यहां पहुंचाना होगा। जो भी मूर्ति निकलेगी वास्ते फोटोग्राफी के मुझे सूचना देना होगा। जो मेरे ग्राहक जायेंगे उन्हें मूर्ति दिखाना होगा। मूर्ति के काम के लिये माहवारी तनख्वाह व बोनस दूंगा। कुल दिन काम करने पर काफी जगह जमीन खरीदूंगा जैसा कि और लोगों को खरीदा हूं। मैं इस शर्त पर खन्ना साहब के यहां नौकरी करना मन्जूर किया था। जब भी काश्तकारी से समय मिलता था काम करता था। मूर्तियां जो भी निकलती थीं सुदर्शन के यहां जमा कराता था।

2. खन्ना साहब मेरे साथ जाते थे और अपनी जीप द्वारा मूर्तियां ले जाते थे। कभी कभी खन्ना साहब के साथ विदेशी लोग भी जाते थे। सुदर्शन इत्यादि लोगों के यहां संचित मूर्तियों को देखते थे। कीमत तय होती थी और खरीदकर ले जाते थे। हम लोगों को जो तनख्वाह और मजदूरी होती थी, दे देते थे।

This (P.W. 89) further deposition in paragraphs 3,4 and 5 is as under :

3. खन्ना साहब के निवास स्थान पर उनकी जीप। बस और कर्मचारियों के साथ जाता था। उनके यहां हब्शी टाईप जो लोग गोरे और लाल रंग

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

वाले स्त्री मर्द मूर्तियां देखने जाते थे वे लोग यहां सरीखे लोग नहीं होते थे। खन्ना साहब मुझे उन लोगों के साथ गोरर्गी मूर्ति दिखाने ले जाते थे। यदि वहां कीमत तय हो जाती थी तो मूर्ति एरिया के अन्दर ही बेच देते थे। खन्ना साहब इलाहाबाद के लोगों को भी कई बार ले गये थे। उनके हाथ भी कई मूर्तियां बेचा था।

4. गोरर्गी एरिया के बाहर देव स्थानों में जो मूर्तियां रखी थी खन्ना साहब ने कहा था कि उन्हें उठा लाओ। ये देवी देवता नहीं हैं मैं इनसे नहीं डरता और न तुम लोग डरो इनमें काफी पैसा मिलेगा।

5. अरसा 10-16 साल के नीरज जैन के साथ शहडोल जिले के एक साहब थे जिनका नाम बाद में मालूम हुआ कि वे कपूर साहब थे नीरज जैन और कपूर साहब गोरर्गी में मूर्तियां खरीदते थे। खन्ना साहब ने इन लोगों को अपना पार्टनर होना बतलाया था। इन लोगों के साथ भी कई बार विदेशी लोग गये थे जिन्हें अमेरिकन बतलाया गया था। कपूर साहब और नीरज जैन साहब ने अमेरिकन होना बताया था और अपनी मोटर में कुछ मूर्तियां रखकर खरीदकर ले गये थे। खन्ना साहब ने कई बार मूर्तियां को चारा घास के अन्दर बन्डल बनाकर दिल्ली भेजी थी।

27. यज्ञनारायण (P.W. 80) में आगे कहा गया है कि वह आरोपी नीरज जैन को मूर्तियाँ भेजा करता था एवं सात मूर्तियाँ सौदेबाजी के लिये भी ले गया था। उस (P.W. 89) ने पैरा 11 में कहा कि मूर्तियाँ सरकारी क्षेत्र से उठाई गई थी। कुछ मूर्तियाँ (P.W. 89) के घर से भी जब्त की गईं थी।

28. (P.W. 89) के कथन की सचाई विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि उसके पहिले के बयानों 164 CR. P.C. (EXP/27) या कोर्ट में (Exp/15) या पूर्व में पुलिस (EXP/16) से विरोधाभास था। ये बयान उससे जब्त की गई मूर्तियों की संख्या से संबंधित या मूर्तियाँ प्राप्ति से संबंधित या अन्य प्रकरणों से संबंधित था। मेरा दृष्टिकोण है कि इस प्रकार की विसंगतियाँ ग्रामीण गवाह के लिये गये लम्बे बयानों,

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भिन्न वकीलों द्वारा कूट परीक्षणों में संभव है जो गंभीर कमजोरी/ त्रुटि नहीं है। PW 89 का प्रमुख साक्ष्य यह है कि उसने अनेकों पुरातत्व की वस्तुयें एवं मूर्तियाँ गोर्गी क्षेत्र से हटाई आरोपी बिहारीलाल खन्ना व छुन्दा के कहने पर। सुदर्शन उन्हें उस क्षेत्र से खोदा करता था। वह (PW 89) खुदी हुई मूर्तियों का बिहारीलाल खन्ना एवं नीरज जैन को दिया करता था। ये दोनों आरोपी गोर्गी क्षेत्र से मूर्तियाँ लेते एवं ऊँची कीमत पर दूसरों को बेचते थे।

29. सब इंस्पेक्टर ओ.पी. शर्मा (P.W. 38) ने आरोपी खन्ना के पास से करीब 61 मूर्तियाँ जप्त की (EXP 1) बाद में उसने (P.W. 38) दूसरी मूर्तियाँ खन्ना से बरामद की (EXP/36) उसने (P.W. 38) रसीदें P/37 से P/44 आरोपी खन्ना से जप्त कीं।

30. सनालाल P.W. 1 ने कहा कि उसने जप्ती मैंने EXP/1 को अभिप्रमाणित किया जिसके अनुसार आरोपी खन्ना के पास मूर्तियाँ बरामद की गई थी। इसी आशय का कथन राममनोहर P.W. 5 सब इंस्पेक्टर भजनसिंह PW-30 का है। उसने बयान दिया कि आरोपी खन्ना से मूर्तियाँ बरामद की। आरोपी खन्ना ने स्वयं अपने परीक्षण में स्वीकार किया कि मूर्तियाँ उसके पास से बरामद की गई थी तथा वे उसके कब्जे में थीं। अतः उसमें कोई संदेह नहीं है कि मूर्तियाँ खन्ना के अधिकार में थी तथा पुलिस उन्हें उसके पास से बरामद किया।

31. सब इंस्पेक्टर ओ.पी. शर्मा (P.W. 38) ने बयान दिया कि उसने आरोपी महेश का बयान रिकार्ड किया था।

32. छोटेलाल (P.W. 81) बयान दिया कि आरोपी महेश का स्वीकारोक्ति बयान जिसके आधार पर नीरज जैन के यहाँ से मूर्तियाँ बरामद की गई थी, EXP/120 एक स्वीकारोक्ति बयान है जबकि EXP/121 जप्ती/बरामदगी का मेमो है। आरोपी नीरज जैन के यहाँ से मूर्तियों

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

की जब्ती का दूसरा मेमो EXP/122 है। बिहारीलाल राजेन्द्र सिंह (P.W. 82) ने बयान दिया कि नीरज जैन के मकान में अनेकों मूर्तियाँ थी। बिहारीलाल राजेन्द्र सिंह का संकेत था कि पुलिस अधिकारी कुछ मूर्तियाँ नीरज ज़ैन के यहाँ ले गये जिससे कि चुराई गई मूर्तियों में मिला सकें पहचान के समय पर। यह संकेत स्वीकार करने योग्य नहीं है। जप्ती मेमो EXP/121 एवं P/122 पर नीरज जैन के स्पष्ट हस्ताक्षर हैं। अतः यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव मूर्तियों के जप्ती के पहिले आरोपी नीरज जैन से किया गया था।

33. गजरूप (P.W. 12) ने बयान दिया कि उसने सुदर्शन गोर्गी में मूर्तियाँ खोदते देखा और यह भी देखा कि आरोपी खन्ना उन्हें ले जाया करते थे। उसने (P.W. 12) मूर्ति क्र. 8, 21, 22, 30, 33, 34, 42, 52, 55, 62, 65 एवं 94 जो कि पहले गोर्गी में थी, भी पहचान की। नरहर प्रसाद (P.W. 16) ने भी बयान दिया कि उसने पहिले गोर्गी में अनेकों मूर्तियाँ रखी हुई देखी थीं। उसने (P.W. 16) पहचान मेमो EXP/13 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकारे।

34. Oudh (P.W. 18) बयान दिया कि उसने कुछ मूर्तियाँ EXP/13 एवं P/21 के अनुसार पहचानी। वे ठीक वैसी ही हैं जैसी गार्गी क्षेत्र में हैं।

35. तह. शिवप्रताप सिंह (P.W. 53) बयान दिया कि उसने EXP/13 के अनुसार पहचान परीक्षण कराया P.W. 53 ने बयान दिया कि पहचान परीक्षण पुलिस कर्मचारियों की अनुपस्थिति में कराया गया था। कोलू (P.W. 56) ने बयान दिया कि जप्त की मूर्तियों की पहचान की है वे गोर्गी की हैं, पहचानी गई क्र. 27 की मूर्ति गोर्गी की है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

36. लालजी (P.W. 9) रीवा से प्रकाशित साप्ताहिक के सम्पादक ने कहा कि उन्होंने 66-67 में गोर्गी क्षेत्र के चारों ओर बाउन्ड्री देखी थी। रामवहोर (P.W. 10) ने भी गोर्गी में बाउन्ड्री देखी थी। रामशरण (P.W. 11) ने गोर्गी में मूर्तियाँ देखीं थी।

36. (अ) अजित कुमार जैन (P.W. 47) ने बयान दिया कि उन्होंने नीरज जैन के मकान पर अनेकों मूर्तियाँ देखीं थी। आदित्य प्रताप सिंह (P.W. 50) ने कहा कि गोर्गी में पुरातत्व वस्तुयें एवं मूर्तियाँ थी, जो अब वहां नहीं हैं। गोर्गी क्षेत्र को तत्कालीन लेफ्टि. गर्वनर के आदेश तार फेन्सिंग से घेर दिया था, अब तार फेंसिंग वहां नहीं है।

37. श्री गंगाप्रसाद त्रिवेदी डिप्टी कमिश्नर भूमि रिकार्ड (P.W. 21) ने बयान दिया कि वे पूर्व में गोर्गी में नायब तह. थे जब श्री सन्थानम विन्ध्यप्रदेश के लेफ्टि. गर्वनर थे। P.W. 21 ने आगे कहा कि लेफ्टि. गर्वनर के आदेश से गोर्गी क्षेत्र श्री पुरातत्व वस्तुयें एवं मूर्तियों को एकत्रित कराया था एवं उन्हें वाउन्ड्री वाले क्षेत्र में शेड के नीचे गोर्गी में रखा था। एक चौकीदार की नियुक्ति भी एकत्रित सामान की देखभाल के लिये की गई थी। इसी आशय का बयान वृन्दावन (P.W. 22) का है। P.W. 22 ने कहा कि बाद में गोर्गी में रखी गई पुरातात्विक वस्तुयें एवं मूर्तियाँ गायब हो गईं। बाद में नहीं देखी गईं।

38. लेबोरेट्ररी सहा. राम सलोन (P.W. 29) ने बयान दिया कि पुलिस स्टेशन में मूर्तियाँ रखने का समय EXP/30 के अनुसार उसकी उपस्थिति में लिया गया था। श्री यू.एन. जोशी (P.W. 90) फोरेंसिक साईन्स लेबो. ने मूर्ति धुलाई के पानी का परीक्षण किया एवं अपनी रिपोर्ट (EXP/28) दी, परंतु स्वीकार किया कि वह पुरातात्विक महत्व के बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ है। अतः उनका दृष्टिकोण

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

इस मामले में अधिक सहायक नहीं है।

39. गंगाप्रसाद (P.W. 6) ने कहा कि एक समय उसने आरोपी खन्ना को देखा कि वे सुदर्शन (मृत) को मूर्ति की कीमत चुका रहे थे, जो मूर्ति वह उनके पास लाया था।

40. श्याम सुन्दर (P.W. 21) ने बयान दिया कि आरोपी महेश ने एक मूर्ति उन्हें बेची थी, जिसे बाद में दूसरों के हस्तक्षेप के कारण, बुद्धसेन को लौटा दी थी। क्योंकि वह उनकी थी।

41. गाना (P.W. 32) ने बयान दिया कि एक बार यज्ञनारायण मूर्तियों के उसके रिक्शे में रीवा बस स्टैंड तक लाया था।

42. बैजनाथ (P.W. 32) एवं बंशीधर (P.W. 36) ने बयान दिया कि सुदर्शन (मृत) ने एक मूर्ति बेची थी।

43. कुसुमकली (P.W. 52) सुदर्शन विधवा पत्नी है। उसने बयान दिया कि आरोपी महेश उसके पति का छोटा भाई है। उसने (P.W. 52) यह बयान भी दिया वह पढ़ी-लिखी है, उसने अपने पति व देवर के हस्ताक्षर पहचाने। उसके मतानुसार EXP/40 एवं P/42 में सुदर्शन के हस्ताक्षर हैं तथा P/41 एवं P/43 में आरोपी महेश के हैं।

44. उसने (P.W. 52) कहा कि उसका पति गोरगी क्षेत्र में मूर्तियाँ खोदा करता था और बेचा करता था। उसने आरोपी खन्ना को इंगित करते हुये कहा कि खन्ना मूर्तियाँ खरीदने आया करता था। उसके मतानुसार उसके पति ने करीब 150 मूर्तियाँ खन्ना को बेची होंगी। आरोपी छुन्दा उन मूर्तियों को उसके पति की तरफ आरोपी खन्ना के पास ले जाता था तथा उनकी कीमत लाता था। एक दो बार आरोपी महेश भी मूर्तियाँ ले गया तथा खन्ना कीमत लाया।

45. एम.आई. खान (P.W. 59) फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ है। उसने कन्हाई के अंगूठे के निशान जैसे दिखने वाले निशान रसीद P/37, P 38, P 39

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

पर छुन्दा के अंगूठे निशान के रूप में पहचाना। उनके अनुसार EXP/37 पर अंगूठे का निशान EXP/38, 39 से तुलना योग्य नहीं है। वे निशान छुन्दा के अंगूठे के निशान के हैं। उन्होंने अपने निष्कर्ष हेतु तर्क दिये। उनके निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती।

46. मदनमोहन नीमा (P.W. 78) राज्य अभिलेख परीक्षक ने कहा कि उन्होंने P 37, 38, 39, 41, 43 एवं 44 की जाँच की एवं निष्कर्ष निकाला कि P 37, 38, 39, 41, 43 एवं 44 पर लिखावट आरोपी बी.एल. खन्ना की है। उन्होंने अपने निष्कर्ष के पक्ष में जो कारण बतलाये उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती।

47. शंभुप्रसाद (P.W. 79) ने बयान दिया कि उन्होंने मूर्तियों की पहचान की है तथा ASI हरनाम सिंह (P.W. 80) ने बताया कि उन्होंने आरोपी नीरज जैन से EXP/119 के अनुसार स्कूटर जप्त किया।

48. पटवारी छोटे लाल सिंह (P.W. 83) ने कथन किया कि उसने EXP/123, P 123 गोर्गी क्षेत्र आर्केलाजीकल विभाग के लिये नक्शे बनाये थे।

49. श्री एस.आर. हीरा सहा. लायब्रेरीयन, राष्ट्रीय पुरातत्व भारत (P.W. 28) का कथन था कि EXP/28 मूल नोटिफिकेशन नं.-SRO-1990 की फोटोकापी है। दि. 4.11.52 तथा P 29 भी SRO 865 दि. 30.4.48 की फोटोकापी है। उन्होंने आगे बताया कि P.-28A, P/28B तथा P/29 अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ थी। उन्होंने बताया कि 28B का संबंध प्लाट नं. 1172 तथा 1289 गोर्गी सीरियल नं. 13 से है जबकि P/28ए प्लाट नं. 163, 411 सरकारी संपत्ति दर्शाये गये हैं। ये प्लाट भी गोर्गी में है।

50. सी. कृष्ण (P.W. 51) ने बताया कि वे पुरातत्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर थे। सरकार के आदेश पर रीवा आये थे। उन्होंने कुछ

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

मूर्तियों का परीक्षण किया था और अपना अभिमत EXP/49 के अनुसार दिया था। उनके द्वारा परीक्षण की मूर्तियों की सूची EXP/50, P 51 to P 54 मूर्तियों के फोटोग्राफ थे। उन्होंने बयान में यह भी बताया कि हरिहर की मूर्तियाँ जैसे कि फोटो 59 में दुर्लभ है। जिन मूर्तियों की उपरोक्त फोटो हैं वे 10वीं, 11वीं शदी की हैं। उनका आगे का अभिमत EXP 60 के अनुसार है।

51. उन्होंने (P.W. 51) ने बयान दिया कि फोटो P 59, 63 नं. की मूर्ति की है, फोटो 58 मूर्ति क्र. 59 की है। फोटो नं. 51 मूर्ति नं. 135 है। उनकी सूची में EXP/50 की मूर्ति जिसका उल्लेख क्र. 7 पर है वह 98 नं. की मूर्ति है, जिस मूर्ति का उल्लेख पृ. 2 के क्रमांक 5 पर है वह 122 नं. की मूर्ति है। इसी प्रकार जिस मूर्ति का उल्लेख प्रथम पृष्ठ के क्र. 2 पर है (EXP/50) वह क्रमांक 100 की मूर्ति है। क्रमांक 1 की मूर्ति नं. 70 है।

52. इसी तरह सी. कृष्ण (P.W. 55) ने भी अनेकों मूर्तियों को पहचाना जिसका उल्लेख उनके बयान के पृष्ठ 14 में है।

53. विभिन्न स्थानों से मूर्तियों की जप्ती के संबंध में कुछ Prosecution की ओर से कुछ ओर गवाहों का भी परीक्षण किया गया। विभिन्न स्थान से मूर्तियों को हटाने संबंधी जाँच भी की गई। किन्तु निष्कर्ष यह है कि गोर्गी से संबंधित मूर्तियों के बारे में नही थे। निष्कर्ष भी निर्णयात्मक न होने से विचारणीय नहीं है, इस प्रकरण में मददगार भी नहीं है।

54. आरोपियों की ओर से इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि इस मामले में पहचान परीक्षण झूठ है क्योंकि वह पुलिस की उपस्थिति में कराया गया था। निसंदेह कुछ गवाहों ने पुलिस उपस्थिति को कबूला किन्तु तहसीलदार (P.W. 53) जिन्होंने परीक्षण कराया, ने कहा कि परीक्षण के दौरान कोई पुलिस कर्मचारी

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

उपस्थित नहीं था। यह विषय विवादस्पद नहीं कि बरामद की गई मूर्तियाँ पहिले आरोपियों खन्ना व नीरज जैन के पास थी। और अब यह भी देखा जायेगा कि वे पुरातात्विक महत्व की थी। अतः बरामदी एवं पहचान परीक्षण संबंधी कुछ त्रुटियाँ अपने आप में महत्वहीन है एवं Prosecation के मूल महत्व को प्रभावित नहीं करती।

55. आरोपियों ने नोटिफिकेशन एक्ट 1958 की सत्यता को चुनौती देते हुये कहा है कि क्षेत्र केवल 'संरक्षित क्षेत्र' का, एक स्थल था, स्मारक नहीं। जो भी हो, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता।

56. रिपील एक्ट के P/131, P/132 एवं अन्य संबंधित नोटिफिकेशन के रिकार्ड के बारे में EXP/28A, P 28-B तथा P 29 के फोटोग्राफ उपलब्ध हैं। नोटिफिकेशन जारी किये गये थे जबकि रिपील एक्ट 1904 प्रभावशील था, तथा वह प्रभावशील रहेगा क्योंकि सेक्सन 6 एवं 24 की उपधाराओं का सम्मिलित प्रभाव है जैसा कि नील बनाम राज्य AIR. 1972 S.E. 2068 से स्पष्ट है।

57. तृणवक बनाम राज्य AIR 1954 Sc. 39 को आधार मानकर यह निवेदन किया गया कि ऐसे स्थान से मूर्तियों पुरातात्विक वस्तुओं की बरामदी जो स्थान सभी के लिये खुला हो, निश्चयात्मक रूप से स्वामित्व नहीं माना जा सकता। तृणवक मामले में प्रतिपादित सिद्धांत बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों का है, उस प्रकट का सहारा मूर्तियों को खोदने, पुरातात्विक वस्तुओं को खोदने, हटाने खुले क्षेत्र से, के लिये नहीं लिया जा सकता।

58. प्रो. वाजपेयी (P.W. 13) सागर विश्वविद्यालय ने बयान दिया कि उन्होंने परीक्षण किया एवं उनके मतानुसार EXP/11 बरामद किये गये कुछ पुरातात्विक वस्तुयें एवं मूर्तियाँ गोर्गी क्षेत्र की है एवं 10-

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

11वीं शदी के कालखंड की हैं। उनका मत मूर्ति क्र. 18, 50, 54, 56 के केस के बारे में था। उसके बाद उन्होंने अपना मत केस से संबंधित तीन मूर्ति जिनमें 63 एवं 110 भी शामिल है, के बारे में दिया।

59. श्री आयंगर (P.W. 15) डिप्टी सुपरि. पुरातत्व विभाग कोचिंग ने भी करीब 213 पुरातात्विक वस्तुओं/मूर्तियों का परीक्षण किया जब वे पुलिस के अधिकार में थी। श्री आयंगर से जानना चाहा गया कि क्या वे वस्तुयें संरक्षित क्षेत्र की थी तो उन्होंने अपना मत दिया कि वे संरक्षित क्षेत्र की नहीं थी। विभिन्न तर्क यह दिया कि किसी संरक्षित स्थान से चोरी के कोई फोटो प्रमाण उपलब्ध नहीं है। श्री आयंगर उनके द्वारा जाँच की वस्तुओं की कीमत बताने में भी असमर्थ थे। उनके बारे में यही कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं किया एवं लापरवाही से उत्तर दिया। यदि वे पुरातात्विक विभाग के अधिकारी थे तो उन्हें अनुमानित कीमत बतलाने में क्या बाधा थी।

60. सी.ए. कृष्ण (P.W. 51) ने पहिले ही बयान दिया है कि उनके द्वारा परीक्षित मूर्तियाँ गोर्गी की हैं। श्री एल.के. श्रीनिवासन ने भी बयान दिया कि बरामद मूर्तियाँ गोर्गी क्षेत्र की हैं।

61. श्री श्रीनिवासन (P.W. 91) ने बताया कि आरोपी नीरज जैन राज्य स्तरीय महामस्तकाभिषेक कमेटी कर्नाटक का सदस्य है। बचाव गवाह श्री राजकिशोर शुक्ला (D 41) ने बयान दिया कि उनके साथ नीरज जैन रामवन संग्रहालय के आजीवन सदस्य हैं एवं नीरज जैन पुरातत्व क्षेत्र के उच्च स्तरीय कार्यकर्ता हैं। श्री शिवानंद (D.W. 2) म.प्र. विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष ने कहा कि नीरज जैन का समाज में बहुत ऊँचा स्थान है। कन्हैयालाल पंचोली I.A.S. (D.W. 3) रिवेन्यू विभाग ग्वालियर के सेवानिवृत सदस्य ने खन्ना की

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

प्रशंसा की एवं कहा कि जैसी मूर्तियाँ खन्ना के यहाँ मिली हैं वैसी दूसरे मकानों एवं होस्टलों में भी देखी जा सकती हैं।

62. भूतपूर्व महराज रीवा के एक वरिष्ठ अधिकारी (D.W. 4) ने कहा कि आरोपी खन्ना ने कुछ मूर्तियाँ होटल से प्राप्त की। D.W. 4 का कथन काफी अस्पष्ट है अतः इस केस संबंध नहीं रखता। इसी प्रकार कृष्णचंद चतुर्वेदी (D.W. 5) ने भी कहा कि उन्होंने ऐसी मूर्तियाँ कई जगह देखी हैं। प्रमाणित नहीं है। रामप्रसाद मिश्रा (D.W. 6) ने कहा कि पुरातात्विक वस्तुयें-मूर्तियाँ बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में उपलब्ध है। उनका कथन कि उन्होंने खन्ना की बस में कभी किसी मूर्ति को ले जाते नहीं देखा- इस मामले में मददगार नहीं है। इसी प्रकार से समानुग्रह (D.W. 7) एवं चन्द्रभान (DW 8) के बयान भी Prosecution के निष्कर्षों को समाप्त/निरस्त नहीं कर सकते।

63. सम्पत कुमार जैन नूतन पाकेट बुक्स, मेरठ का बयान जो कमीशन पर लिया गया है, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है। इस केस के निर्णयों के संदर्भ से परे है।

64. सोमचंद जैन के बयान को भी कमीशन पर रिकार्ड किया गया।

उन्होंने कहा कि उन्होंने नीरज जैन के घर पर अनेकों मूर्तियों को देखा। RTO के आफिस के क्लर्क ने कहा कि यज्ञनारायण को Conductor का 1953, 54 लायसेंस नहीं दिया गया था। यज्ञनारायण ने 1966-67 के खुदाई के बारे में बताया इस क्लर्क का बयान अर्थहीन है। बचाव पक्ष छोटे लाल का बयान (कमीशन पर लिया गया) भी इस केस पर कोई प्रकाश नहीं डालता।

65. इस मामले की पुरातत्व वस्तुओं मूर्तियों पर निगाह डालने से मालूम पड़ता है कि इनमें विभिन्न प्रकार की देवताओं की मूर्तियाँ

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

एवं अन्य चीजें हैं। श्रेष्ठ कलाकृतियों कलचुरी कला की कथा का बखान करतीं हैं। इनको देखने से लोगों की आकांक्षाओं, स्वप्नों का, जिनको ऐसी भाषा में साकार किया है जो हमें तीव्रता से बांध लेती है, का पता चलता है। कोई भी देख सकता है कि कितनी खूबसूरती से मनुष्य, पौधों, जानवरों के लक्षणों के बीच साम्य कला के माध्यम से स्थापित किया गया है। तत्कालीन कवियों के कवित्व का कलाकारों ने Cuwes और Contouns के माध्यम से गायन किया है। ये निश्चय ही उस काल की प्रमुख प्रतिनिधि कलाकृतियाँ हैं।

66. इस तरल सरकारी गवाह (P.W. 89) की सत्यता दूसरों गवाहों से पुष्ट होती है। जिन्होंने बताया है कि आरोपी व्यक्ति महेश तथा अन्य द्वारा गोर्गी में खोदी गई मूर्तियाँ, पुरातत्व वस्तुओं को लेते थे।

अभियोजन प्रमाण एवं विशेषज्ञों की राय से स्पष्ट सिद्ध है कि आरोपी बिहारीलाल खन्ना, आरोपी नीरज जैन एवं अन्य गोर्गी से खोदी गई पुरातत्व वस्तुयें, मूर्तियाँ लेते/पाते थे। गोर्गी सुरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत था। आरोपी महेश, छुन्दा, सरकारी गवाह यज्ञनारायण उन वस्तुओं को आरोपी खन्ना, नीरज जैन के हित साधन के लिये तथा अन्यों के लाभ के लिये उन्हें हटाते थे। अन्य लोगों से न्यायालय को फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है।

67. हटाई गई वस्तुयें पुरातत्व एवं प्राचीन मूर्तियों के महत्व की हैं। उन्हें आरोपी खन्ना एवं नीरज जैन द्वारा प्राप्त किया गया था। नीरज जैन का पुरातत्व क्षेत्र में एक स्थान था। दोनों के बारे में माना जा सकता है कि उन्होंने बेईमानी से उन चीजों को लिया यह जानते हुये भी कि वे चीजें जिस ढंग से उन्होंने ली हैं उनकी नहीं हो सकती। ये चोरी की थी इन्हें आरोपियों ने एक बार नहीं अनेक बार लीं। अनेकों चीजें लीं। भिन्न संख्या में लीं।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

68. प्रमाण से सिद्ध हुआ कि रसीदें क्रमांक EXP 37 से 44 तक आरोपी खन्ना द्वारा लिखित हैं। क्र. P/37 से P 39 पर आरोपी छुन्दा के अंगूठे के निशान हैं तथा अन्य पर आरोपी एवं महेश के हस्ताक्षर हैं। आरोपियों के पास कोई जमीन नहीं है तथा दस्तावेज सरकारी गवाह के कथनों की सत्यता स्थापित करते हैं।

69. सरकारी गवाह का कथन, जिसकी सत्यता दूसरे प्रमाणों से भी पुष्ट होती है कि आरोपी नीरज जैन एवं बिहारीलाल खन्ना, कुछ दूसरे लोगों के साथ मिलकर षडयंत्रपूर्वक चुराई गई पुरातत्व वस्तुओं एवं मूर्तियों के बेईमानीपूर्वक लेते थे। लेना निरन्तर था, किसी एक समय की घटना नहीं है। उनके कृत्य सेक्सन 120B, 411 & 413 I.P.C. के अंतर्गत दंडनीय है।

70. यह भी सिद्ध हुआ कि आरोपी बिहारीलाल खन्ना ने भुगतान फर्जी रसीदें EXP/37, P 38 and P 39 बनाई जो कि हस्ताक्षर विशेषज्ञ द्वारा 7, 8 एवं 9 द्वारा चिन्हित हैं। इन तीनों रसीदों के धोखे से सही रसीदों के रूप में प्रयोग किया गया। सेक्सन 379 IPC एवं 30 प्राचीन स्मारक एवं आर्केलाजीकल स्थल एवं अवशेष 1958 स्थापित नहीं किया इस मामले में।

72. अभियोजन प्रमाणों से निर्धारित हुआ कि आरोपी महेश गोर्गी से प्राचीन वस्तुओं की चोरी की तथा IPC की धारा 379 के तहत दंडनीय है। यह भी सिद्ध हुआ कि आरोपी महेश ने गोर्गी संरक्षित क्षेत्र से बेईमानी से प्राचीन वस्तुओं को हटाया एवं 1958 की धारा 30(1) एवं (2) के तहत दंडनीय है। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला, ये सारी चीजें महेश अपने खुद के लिये ले रहा था। अतः सेक्सन 413 IPC के तहत उसके विरुद्ध मामला सिद्ध नहीं हुआ।

73. इसी तरह अभियोजन ने सिद्ध किया कि आरोपी छुन्दा ने गोर्गी एवं रहुवा क्षेत्र से प्राचीन वस्तुओं की चोरी की जो IPC 379 के तहत

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

दंडनीय है। यह भी सिद्ध हुआ चुराई/हटाई गई कला वस्तुयें (गोर्गी एवं रहुता के संरक्षित क्षेत्र) का अपराध भी सेक्सन 30(1) एवं (2) एक्ट 1958 के तहत दंडनीय है।

74. यह भी लिखावट विशेषज्ञ द्वारा सिद्ध किया गया कि उसने तीन रसीदों पर अंगूठे का निशान लगाया- P/37, P/38 एवं P/39 जो Q7, Q8, Q9 से चिन्हित हैं। इस तरह तीनों फर्जी रसीदों को धोखा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया। इस तरह यह अपराध भी सेक्सन 467 के तहत दंडनीय है।

75. यह सिद्ध नहीं हो सका कि आरोपी छुन्दा आदतन इन चोरी की वस्तुओं को अपने लिये लेता था। अतः सेक्सन 413 के तहत उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध नहीं हुआ।

76. आरोपी भगवान सिंह के विरुद्ध परिस्थितिजन्य अपराध सिद्ध नहीं हुआ एवं अभियोजन के विद्वान वकील ने भी सहमति दी कि उसके विरुद्ध आरोप न लगाया जावे। अतः आरोपी भगवान सिंह पुत्र जगदीश सिंह दोषमुक्त होने का पात्र है अतः दोषमुक्त किया जाता है।

77. जहाँ तक सजा का सवाल है यह ध्यान देने लायक है कि आरोपी छुन्दा एवं आरोपी महेश गरीब वर्ग के हैं। वे गाँव में रहने वाले निरक्षर व अनपढ़ हैं। उनका उपयोग उच्चवर्गीय लोगों द्वारा मजदूरी करने के लिये किया गया। वे मुकद्दमे का 14 वर्ष तक मानसिक कष्ट भोगते रहे। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखने के पश्चात 379 IPC, 467 IPC एवं सेक्सन 30(1), (2) आर्केलाजी के 1958 के तहत आरोपी छुन्दा को अदालत उठने के समय तक की सजा सभी अपराधों के लिये दी जाती है।

78. इसी प्रकार आरोपी महेश को उपरोक्त सभी धाराओं के तहत जेल की सजा अदालत उठने तक सभी अपराधों के लिये दी जाती है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

79. आरोपी बिहारीलाल खन्ना को सेक्सन 120B, 411, 413 एवं 467 तथा 471 IPC के अपराध में सजा दी जाती है। सेक्सन 471 के तहत अलग सजा देने के संबंध में रिकार्ड करना जरूरी नहीं है। बिहारीलाल खन्ना चूँकि वृद्ध व्यक्ति है, करीब 76 वर्ष उम्र का। वह विगत 14 वर्षों से भी अधिक से मुकद्दमे की trial भुगतता रहा है, मानसिक वेदना सहता रहा अतः आरोपी खन्ना को एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा प्रति अपराध के लिये जो कि सेक्सन 120B, 411, 413 एवं 467 IPC के तहत दी जाती है। वह कुल 4000/- चार हजार रुपये दंड के देगा। दंड की अदायगी न करने की गलती करने पर उसको 6 माह के कठोर कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा।

80. आरोपी नीरज जैन को IPC की धारा 120, B/411 एवं 413 के तहत सजा दी जाती है। वह भी 60 वर्ष का वृद्ध है, मुकद्दमे में Trail भुगतता रहा है, मानसिक कष्ट उठाता रहा है 14 वर्ष से अधिक समय तक। उसे भी प्रत्येक मामले में एक-एक हजार रुपये का दंड किया जाता है। कुल तीन हजार का दंड। दंड न चुकाने की स्थिति में उसे 6 माह के कठोर कारावास की सजा भुगतना पड़ेगी।

81. इस मामले में आरोपियों से जप्त पुरातत्व वस्तुयें, मूर्तियाँ राजसात मानी जावेगी। वे कलेक्टर रीवा को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिये दे दी जावेगी, अपील की अवधि या अपील के निर्णय के बाद।

82. आरोपियों को दंड राशि जमा कराने या उच्च न्यायालय से उचित आदेश लाने के लिये दो माह का समय दिया जाता है।

सेसन जज इंदौर
हाल, रीवा (म.प्र.)

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

उच्च न्यायालय ने नीरज की सजा को बरकरार रखा

1990 जे.एल.जे. 684

(नीरज जैन बनाम स्टेट ऑफ एम.पी.)

क्रिमि. अपील नं. 680/83 निर्णय दिनांक 19.9.1988 के अंश

पैरा 6 :- सत्र न्यायालय के निर्णय दिनांक 6.6.1983 के विरुद्ध श्री नीरज जैन ने दांडिक अपील क्रमांक 680/83 म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की थी एवं तर्क प्रस्तुत किये थे कि उनसे जप्त की गई मूर्तियाँ गोर्गी क्षेत्र से प्राप्त की गई कलचुरी कला या गोर्गी कला की मूर्तियाँ हैं यह सिद्ध नहीं हुआ है। अपीलार्थी का यह भी तर्क था कि उन्हें गलत रूप से दंडित किया गया है कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे शासकीय साक्षी की पुष्टि होती अतः यह माना जाना चाहिये कि अपीलकर्ता के विरुद्ध अपराध संदेह से परे सिद्ध नहीं है। राज्य शासन द्वारा दण्डाज्ञा में वृद्धि करने हेतु प्रस्तुत अपील के उत्तर में तर्क किया गया है कि यदि न्यायालय यह भी पाये कि अपराध सिद्ध है तो भी दण्डाज्ञा में वृद्धि की कोई स्थिति नहीं है। अपीलकर्ता ने निवेदन किया कि अपील स्वीकार कर दोषमुक्त किया जाये एवं शासन की अपील निरस्त की जावे। शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया गया कि प्रकरण में ऐसे अपराध के लिये अपराध की गंभीरता को देखते हुये कारावास की सजा दी जाना आवश्यक है। लंबे समय तक मुकद्दमा चलने से अपराध की गुरुता कम नहीं हो जाती इस कारण सत्र न्यायाधीश द्वारा इस आधार पर अर्थदण्ड की दण्डाज्ञा उचित एवं पर्याप्त नहीं है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

क्योंकि इसमें दोष शासन का न होकर अपीलार्थी का है।

पैरा 8 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में कहा गया कि- यह सच है कि नीरज जैन के यहाँ से पकड़ी गई सभी मूर्तियाँ गोर्गी क्षेत्र की हैं। यह सिद्ध नहीं किया जा सका है तथापित अभियुक्त से जप्त सात मूर्तियाँ गोर्गी क्षेत्र की होनी सिद्ध है। अन्य मूर्तियाँ जो उसके आधिपत्य से बरामद की गयीं हैं अपीलकर्ता स्वयं के अनुसार कलचुरी कला की है एवं गोर्गी का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह तर्क कि इस प्रकार की मूर्तियाँ गोर्गी क्षेत्र के दूसरे स्थानों में भी पाई जाती हैं अपीलकर्ता को संदेह का लाभ देने के लिये पर्याप्त नहीं है। यह तथ्य कि अपीलकर्ता के यहाँ से पकड़ी गई मूर्तियाँ गोर्गी क्षेत्र से चुराई गई प्राचीन मूर्तियाँ हैं उसे सजा देने के लिये पर्याप्त है। न्यायालय यह मानता है कि मूर्तियाँ चोरी की हैं। नीरज जैन ने उनको अपने पास रखने का कोई वैधानिक आधार सिद्ध नहीं किया है। नीरज जैन पर आरोप है कि वह चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने व आदतन उनका व्यापार करने के षड़यंत्र का अंग है। इस कारण यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह स्वयं प्रत्येक मूर्ति गोर्गी क्षेत्र से लाये थे। इसी तरह यह सिद्ध करना भी आवश्यक नहीं है कि पकड़ी गई प्रत्येक मूर्ति की पहचान नहीं करायी गई कि यह उसी क्षेत्र से लाई गई थी। साक्ष्य सिद्ध करते है कि जप्त की गई सभी मूर्तियाँ उसी क्षेत्र से चुराई गई मूर्तियाँ हैं। अपीलकर्ता ने यह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं किया है कि मूर्तियाँ उसने किसी कानूनी तरीके से प्राप्त की हैं। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता की सजा में कुछ भी अवैधानिकता नहीं है।

अतः अपीलकर्ता की अपील निरस्त कर दण्डाज्ञा स्थिर रखी गई है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भाग - नौ

सर्वत्र नीरज निंदा

नीरज की कहानी, सतना की जुबानी

सतना निवासी नीरज जैन के बारे में सतना के लोग क्या कहते हैं, यह पढ़कर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि – नीरज जैन ने कुण्डलपुर के बहाने देश की जैन समाज को गुमराह करने का कैसे षड़यंत्र रचा है।

नीरज ने देव, शास्त्र, गुरू तीनों का अपमान किया है

"कराहता कुण्डलपुर" शीर्षक पर हमें भारी एतराज है। इस प्रकार का शीर्षक लिखकर हमारे तीर्थों का तथा हमारी धार्मिक मान्यताओं पर गहरा झटका लगा है एवं उनका कुठाराघात किया गया है। उसे अपमानित किया गया है जिससे हमें तीव्र मानसिक वेदना हुई।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

लेखक ने अपने को अधिकार क्षेत्र से ज्यादा ऊपर उठकर अनाधिकार चेष्ठा करके हमारे देव, शास्त्र एवं गुरू तीनों रत्नत्रयों को लांछित और अपमानित करके जघन्य पाप का भागीदार बना लिया है।

पहले सोनगढ़ समीक्षा शास्त्र द्वारा अवहेलना कर फूट डालने की नीति अपनाई। लिखकर आपसी जैन बंधुओं में फूट डालने की नाकामयाब कोशिश की। दूसरी बार भाग्योदय तीर्थ के माध्यम से 36 मूल गुणों के धारक एवं संयम पूर्वक पालन करने वाले मुनिश्री पर समरंभ, समारंभ, आरंभ, परिग्रह एवं हिंसा जैसे महान पापों का आरोप लगाकर एक सच्चे गुरू के कार्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत कर सभी जैन बंधुओं को गलत मार्ग दिखाने का, सूर्य पर पहुंचने जैसी मूर्खता पूर्ण कोशिश की जो कि परिणाम स्वरूप विफल रही।

तीसरी बार तो सच्चे देव श्री को भी नहीं छोड़ा। कुण्डलपुर में बड़े बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार को गलत बताया वह जीर्णोद्धार तो उस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हो रहा है। और उस अज्ञानी प्राणी ने सच्चे देव श्री के बिम्ब में पूर्व से ही पाषाण स्थित सूक्ष्मधारी को ऐसा बताया है जैसे सुरंग हो गई हो वह जीर्णोद्धार तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिये ही हो रहा है।

इस तरह हमारे सिद्ध, अतिशय एवं पवित्र क्षेत्र को कराहता की संज्ञा देकर रावण जैसे ''विनाशकाले विपरीत बुद्धि'' मति का परिचय दिया है। जिसका प्रतीक है हमारे सच्चे देव, शास्त्र एवं गुरू की बारी-बारी से अवहेलना।

हम आप सभी पाठकों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप सभी एक कथित ज्ञानी वास्तव में अज्ञानी एवं पथभ्रष्ट जैन कहलाने वाले एक जीव को सम्यक् दर्शन का कण भर ही ज्ञान हो सके प्रार्थना करें हमारे

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

साथ ताकि सच्चे देव, शास्त्र एवं गुरू की निंदा, अवहेलना एवं उन्हें एवं उनके कार्यों और निर्देशों की गलत ढंग से जो प्रस्तुति उस जीव द्वारा की जा रही है उसे सद्बुद्धि मिले एवं मिथ्यादृष्टि जीव से सम्यक दृष्टि भले ही कुछ अंशों में बने।

ऐसा हमें एक जीव के भव सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये।

(निर्मल कुमार जैन, सराफ)

चौक बाजार, सतना

सिर्फ बवंडर खड़ा करना मकसद रहा है नीरज का

'कराहता कुण्डलपुर' पुस्तक देखने को मिली तथा इस पर कई बंधुओं से चर्चा हुई सभी ने यही अभिप्राय प्रगट किया कि लेखक नीरज जैन ने अपनी अत्यंत महत्वाकांक्षा को लेकर कुण्डलपुर क्षेत्र कमेटी के विरोध में ही अपनी मनगढ़ंत कलुषित भावना का प्रदर्शन किया है। 20 वर्ष पहले का कुण्डलपुर क्षेत्र और आज के कुण्डलपुर में असीमित वृद्धि हुई है तथा नव निर्मित मंदिर बन जाने के बाद तो यह क्षेत्र मध्यप्रदेश का अद्वितीय सिद्धक्षेत्र बन जायेगा।

लेखक नीरज का अपनी मानसिक संकीर्णता के कारण एवं विरोध बुद्धि के कारण हर जगह जहाँ इनकी पूछ परख विशेष न हो विरोध करना स्वभाव हो गया है। इसी प्रकार सतना समाज में भी फूट डालकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बनाई उसे समाज ने नकार दिया। पिछले कई वर्ष पहले जब श्री पं. जगन्मोहन लाल जी शास्त्री का साधुवाद समारोह समाज ने किया था तब पं. जी को अपना गुरू कहने वाले नीरज ने समारोह में बवंडर खड़ा करके पं. जी का विरोध किया तथा

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

उनकी सम्पधि होने पर जो 'समाधि साधना' पुस्तक छपी थी उसमें अपने लेख में पं. जी का सातवां बेटा अपने को लिखकर गुण गाथा में विरोधाभास जताया।

सबसे बड़ी विचारणीय बात तो यह है कि लेखक अपने जीवन की संध्या में आकर भी अपने पूज्य नव देवताओं का विरोध कर कौन से कर्मों का निकाचित बंध कर रहा है। जीवन का सारा अध्ययन मात्र दिखावटी, लौकिक पद लोलुपता का ही रहा है? इसके पहले श्रीकान जी स्वामी के विरोध में पुस्तक लिखी, अब कराहता कुण्डलपुर पुस्तक लिखकर विरोध की भावना जाग्रत हुई है। सतना में सुना है कि एक विरोध पुस्तक दूसरे क्षेत्र की भी लिखी जा रही है। बड़े बाबा से प्रार्थना है कि ऐसे कुबुद्धि लेखक को सद्बुद्धि और सद्भावना की प्राप्ति हो।

जवाहरलाल जैन, अध्यक्ष
श्री दिगम्बर जैन समाज, सतना

यह नीरज का जघन्य अपराध है

अपने घर की बात को, वादी अथवा प्रतिवादी के एक वकील की तरह, बढ़ा-चढ़ा कर, तोड़-मरोड़ कर, सफेद झूठ को सच का जामा पहना कर प्रस्तुत करना और वह भी प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से जघन्य अपराध है। कराहता कुण्डलपुर पुस्तके कल सन्दर्भ-ग्रन्थ बनेंगी। क्या लिखने से पहले इस बिन्दु पर विचार किया कि एक भावी जैन अथवा अजैन शोध-कर्ता आपकी पुस्तक के छटवें पृष्ठ को पढ़कर हमारे प्रातः स्मरणीय दिगम्बर मुनियों और विशेषकर आचार्य भगवन्तों के बारे में अपना क्या सोच बनायेगा? अरे, इन्हीं दिगम्बर साधुओं के सहारे जैन धर्म की ध्वजा इस पंचम काल के अन्त तक पहुंचेगी।

पी.के. जैन
सेवा निवृत्त प्राचार्य, सतना

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अच्छे काम में रोड़े अटकाकर प्रसिद्धि चाहते हैं नीरज जैन

''कराहता कुण्डलपुर'' नामक पुस्तक को देखने और पढ़ने से मन को बहुत पीड़ा हुई क्योंकि जैन आगम में, साहित्य में कभी भी कषाय वर्धक पुस्तकें नहीं लिखीं जाती, वहाँ तो कषायों का शमन करना मुख्य लक्ष्य रहता है और विद्वान लेखक ने ऐसा प्रयत्न किया है कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर और भड़काऊ शब्दों का प्रयोग करके ऐसा कृत्य किया है कि शताब्दियों तक लोग पढ़कर विद्वेष भावना से भरेंगे।

बड़े बाबा की प्रतिमा पर जिन दरारों को प्रदर्शित किया गया है ये निशान मैंने बचपन से देखे हैं कोई भी निशान नये नहीं हैं और न ही जमीन के विस्फोटों से हुये हैं। फोटो प्रदर्शन वर्तमान युग की ट्रिक फोटोग्राफी का परिणाम है जिसे बड़ी चतुराई से प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में सबसे मुख्य तथ्य विचारणीय है कि बड़े बाबा का मस्तभिषेक विगत कई वर्षों से प्रतिदिन क्यों बंद किया गया?

इसका मूल कारण यही है कि ये जो निशान दिख रहे हैं उनमें बार-बार अभिषेक करने से पानी भर जाता था जिससे ये बढ़ रहे थे और मूर्ति के क्षरण होने की संभावना थी अतः अभिषेक प्रतिदिन बंद किया गया था। तब ऐसा प्रदर्शित करना कि ये निशान अभी व धमाकों के द्वारा बढ़े हैं क्या सही है ? मैंने अभी भी स्वयं वहाँ जाकर बारीकी से अवलोकन किया है।

पुस्तक में 11वां संस्करण छपा है लेखक विद्वान के कुण्डलपुर क्षेत्र परिचय पर पूर्व में छोटी पुस्तक छपी है मगर क्या ''कराहता कुण्डलपुर'' के 11 संस्करण छपे हैं ? क्या यह बात सत्य है ? पुस्तक के प्रथम पन्ने पर पहला वाक्य लिखा है 'मैंने अंपने जीवन में अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया'' यह पुनः विचारणीय है कि सतना समाज से पूछने पर इसकी

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सत्यता प्रमाणित हो जायेगी ? या अन्य लोगों के विचारों द्वारा स्वयं प्रमाणित हो जायेगी। विद्वान लेखक वाक् कला और लेखन कला में प्रवीण है और उसका जितना दुरूपयोग कर सकते थे इस पुस्तक के माध्यम से विध्वंशात्मक उपयोग किया है।

आपने अपने चश्मे से हमेशा हर वस्तु देखी है किंतु अतीत से आज तक चश्मे को संयम के माध्यम से साफ नहीं किया अपितु मान कषाय के दंभ में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की धूल और चढ़ती चली गई जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ रूप/सत्यता दिखना संभव नहीं है। चश्मा/नजरिया, संयम-साधना रूपी जल से एक बार धोकर तो देखें सब यथावत दिखेगा। बड़े बाबा में कभी–भी दरार न थी, न है और न रहेगी। वे तो हम, आप सभी के बड़े बाबा ही रहेंगे।

कोई व्यक्ति निर्माण कार्यों में प्रसिद्ध होता है और इतिहास में अपने आपको साक्षी बनाता है तथा कोई अच्छे कार्यों में रोड़े अटकाकर प्रसिद्ध होना चाहता है, क्या यही नियति है ?

अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप अभी भी विज्ञजनों के साथ आचार्य परमेष्ठी के चरणों में कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकर चर्चा के माध्यम से समस्या का हल करेंगे, मार्गदर्शन लेंगे तो निश्चित रूप से समाधान और प्रगति का रास्ता मिलेगा। पत्रिका, पुस्तकों, लेखों और पत्रों के माध्यम से न कभी पहले भी समाधान हुये हैं, न होंगे। हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है कि बड़े बाबा का विशाल/अद्वितीय मंदिर बनेगा और बड़े बाबा उसमें अपनी गरिमा के साथ विराजेंगे।

सिद्धार्थ कुमार जैन

नीरज का लिखा निराधार है

पुस्तक 'कराहता कुण्डलपुर' प्राप्त हुई। पुस्तक में लिखे हुये कुछ

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

तथ्य अनुचित हैं, जैसे कि प्रथम पृष्ठ पर सतना दिगम्बर जैन मंदिर की वेदी की घटना का उल्लेख है, जो कि पूर्णतः गलत है, वह वेदी सेठ लखपतलाल जैन की है, जिसे हटाने के विरोध में सेठ लखपतलाल ने ही अदालत से स्टे आर्डर लिया था। इस प्रकरण में स्व. शिखरचंद साइकल वाले, स्व. झलकनलाल (कुमार स्टोर्स) स्व. परषादील लाल एवं मैंने स्वयं स्टे ऑर्डर लेने में सहयोग किया था। इसमें नीरज जी की कोई भूमिका नहीं थी। जबकि नीरज जी ने कराहता कुण्डलपुर पुस्तक में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने का उल्लेख किया है, जो कि पूर्णतः गलत व निराधार है।

मैं उनके इस प्रकार के कृत्यों की निंदा करता हूँ व वीर प्रभु से कामना करता हूँ उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो और आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक हों।

दादा हुकुमचंद जैन
अवंती वस्त्रालय, सतना

लेखनी का दुपरुयोग अक्षम्य है

श्री नीरज जैन लिखित पुस्तक ''कराहता कुण्डलपुर'' में वर्णित सभी बातें पूर्णतः भ्रामक एवं सत्य से परे हैं। ऐसा लगता है कि पुस्तक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर लिखी गई है। मंदिर जी के जीर्णोद्धार का विरोध रचनात्मक न होकर सुर्खी में बने रहने का प्रयास मात्र है।

विद्वता एवं लेखनी का दुरूपयोग अक्षम्य है। अपनी बात सिद्ध करने हेतु शाम–दाम–दण्ड–भेद की नीति का सहारा लेना निंदनीय है। बड़े बाबा के माथे पर दरार आज प्रगट नहीं हुई है लेखक ने ट्रिक फोटोग्राफी का सहारा लेकर इसे भयावह बताने का असफल प्रयास किया है।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

किसी भी कार्य का विरोध उसी सीमा तक किया जाना चाहिये जहाँ तक सामाजिक विग्रह भावना पैदा न हो। अपना महत्त्व प्रदर्शित करने हेतु अनर्गल प्रलाप करके समाज विभाजन की इस कोशिश का सभी को विरोध करना चाहिये।

विद्वान की कलम सदैव समाज की एकता के लिये ही उठनी चाहिये। सतना जैन समाज कमेटी सदैव सामाजिक सद्भाव, सामाजिक वात्सल्य एवं सामाजिक एकता हेतु प्रयासरत रही है।

विगत दिवस लेखक ने अपनी लेखनी का दुरूपयोग करते हुये पूज्य गुरूओं की निंदा का घोर अपराध किया था किन्तु सतना जैन समाज के समक्ष लिखित क्षमा याचना करके वह सामाजिक आक्रोश से बच गये।

''कराहता कुण्डलपुर'' के प्रकाशन के पश्चात नवयुवकों एवं सम्पूर्ण समाज में पुनः आक्रोश एवं क्षोभ की उत्पत्ति हुई है। यह गुस्सा एवं क्षोभ समाज की सद्भावना को नष्ट करे इसके पूर्व लेखक को अपनी भूल का एहसास हो तथा किये गये अपराध का प्रायश्चित कर सके यही प्रभु से प्रार्थना है।

पवन कुमार जैन, मंत्री
श्री महा.दि. जैन पारमार्थिक संस्था,
सतना (म.प्र.)

खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं नीरज जैन

''कराहता कुण्डलपुर'' नामक पुस्तक का अवलोकन किया, अत्यन्त कष्ट हुआ कि ऐसे विद्वान को क्या हो गया है कि कुण्डलपुर तीर्थ क्षेत्र का श्रृंगार हो रहा है और उसी में ये खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं।

मैंने समाज के हर वर्ग से इस बारे में राय ली यथा बुजुर्ग, महिला

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

वर्ग, नवयुवक वर्ग, नवयुवती–बालिका वर्ग, ब्रह्मचारी भैया, पंडित वर्ग एवं अन्य सभी वर्गों से इस पुस्तक के बारे में विस्तृत जानकारी ली सभी वर्ग के लोग आक्रोशित हैं। कषाय, विषाक्त एवं कटुता के शब्दों से भरी इस पुस्तक के द्वारा समाज विभाजन होने के कगार पर खड़ी हो गई है।

इसी तरह एक विद्वान ने भी श्री नीरज जैन की एक घटना बताई– विद्वत परिषद के एक अधिवेशन अवसर पर श्री नीरज जैन ने विद्वानों को आपस में लड़वा दिया था। उन्होंने कहा, श्री नीरज जैन की प्रवृत्ति अंग्रेजों जैसी रही है कि दोनों को लड़वा दो और आप स्वयं राज करो। इसी तरह कटनी वाले पं. जी स्व. श्री जगन्मोहन लाल जी शास्त्री के साधुवाद समारोह में मुख्य अतिथि स्व. साहू अशोक कुमार जी ने संयोजक महोदय से स्पष्ट कह दिया था ''कि नीरज जैन को किसी भी तरह मंच पर नहीं आना चाहिये''।

हमारे पूज्य मुनियों एवं आचार्यों के नाम इस पुस्तक में दिये हैं कि इनका–इनका आशीर्वाद मिला है। कैसा आशीर्वाद? कब मिला है? मुनिश्री इस तरह कषाय युक्त कार्यों के लिये आंशीर्वाद कभी नहीं दे सकते। यदि विद्वानगण अविवेकपूर्ण, कषाययुक्त व विद्वेषपूर्ण आरोप आपस में लगाते रहे तो जैन धर्म विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकेगा, साथ ही विभाजन की आशंका भी बनी रहेगी। ऐसी पुस्तकों एवं उसमें लिखे आलेख की सभी ने निंदा की है और हम भी करते हैं।

अजय जैन

महामंत्री–जैन क्लब परिसंघ

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

आम राय

बने यह मंदिर आलीशान

श्री क्षेत्र और बड़े बाबा के बिंब को जो खतरा इंजीनियरों को लग रहा है तथा एक बार के भूकंप में 1" बिंब का झुकाव हुआ है यह स्थिति अवश्य गंभीर है। इसके लिये पहाड़ में ड्रिल कराकर सीमेंट ग्राइटिंग जैसे कार्य सराहनीय ही हैं। पुरातत्व और जैन सिद्धांत अनुसार बिंबों की पूज्यनीयता और दिंगबरत्व का रखरखाव भी आवश्यक ही है।

इन सभी बातों को देखते हुये कमेटी और डेलीगेशन ने सभी के साथ जो निर्णय लिया है उसका पालन करते हुये श्री क्षेत्र की श्री वृद्धि और बड़े बाबा के प्रति धर्मभाव का पालन हम सभी का कर्तव्य है। हजारों वर्षों के क्षेत्र राज को युगांतर तक श्री वृद्धि में संतत् हम सभी को संलग्न रहना है। यही मेरी सदैव से भावना है।

राजेन्द्र कुमार जैन, विदिशा

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

कुण्डलपुर की सच्चाई वहाँ पहुँचकर ही पता लग सकती है। यहां दर्शन करने आने वाले अधिकांश लोगों की राय है कि यहाँ बड़े बाबा का भव्य और आकर्षक मंदिर बने। बड़े बाबा की मूर्ति के दर्शन करने से ही यह विचार आम आदमी के जेहन में आता है। कुण्डलपुर कमेटी के कार्यालय में रखे रजिस्टर में लोगों ने जो भाव दर्ज किये हैं वे यहाँ उनके नाम सहित दे रहा हूँ :-

रमेश कासलीवाल द्वारा संपादित जनवरी 2000 के मासिक ''वीर निकलंक'' पत्रिका में ''कुण्डलपुर के बड़े बाबा की मूर्ति में दरारें'' नामक शीर्षक पढ़ा। मैं पचास वर्ष से कुण्डलपुर सिद्धक्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। जिस प्रकार महावीर जी में मूर्ति के पैर में कोई दरार सी दिखाई देती है उसी तरह इस मूर्ति में भी कई दरारें दिखाई देती हैं। ये दरारें नहीं हैं वरन महावीर जी की मूर्ति का पत्थर जिस प्रकार कुछ खराबी के कारण दरार जैसा दिखता है उसी तरह बड़े बाबा के पत्थर की खराबी ही दरार जैसी दिख रही है।

जो भी बारूदी विस्फोट किये गये वे मूर्ति से करीब 300 फीट की दूरी पर पहाड़ी काटने हेतु किये गये थे। चूंकि आचार्य श्री विद्यासागर जी की प्रेरणा से उस स्थान पर एक नवीन मंदिर बनाया जाना है। अतः मूर्ति में दरारें आने का कोई कारण नहीं दिखाई देता सिर्फ क्षेत्र को बदनाम करने का छिद्रान्वेषी दुर्जन लोगों का असफल प्रयास है।

श्रीचन्द जैन कलाकार
श्री कला मंदिर, दमोह

मैं पिछले 11–12 वर्ष से इस अतिशयकारी सिद्धक्षेत्र पर आ रहा हूँ। मैंने इस मूर्ति को बहुत करीब से कई घंटों तक एक टक निहार कर देखा है। हर बार मूर्ति में कुछ नयापन दिखाई दिया। कई बार तो ऐसा लगता है कि बस बड़े बाबा सामने आकर बात करेंगे।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

वर्तमान में जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वह बिलकुल ही निराध ार हैं। कुछ लोग जिन्हें मैं मेरी भाषा में सिर फिरा कहता हूँ वह लोग न तो कभी कोई कार्य करते हैं वरन जो लोग कार्य करते हैं उसमें कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सदी के महान संत परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी ने इस क्षेत्र के विस्तार विकास की जो रूपरेखा यहाँ की कमेटी को मार्गदर्शित की है वह अपने आप में ईश्वर की आज्ञा के समान है। मूर्ति में दरारें आना तो दूर इसमें तो दिन प्रतिदिन विस्तार आ रहा है। यह तो देखने वाले की दृष्टि का फर्क है। जिसकी जैसी भावना होती है उसे उसी रूप में बड़े बाबा की प्रतिमा नजर आती है। अंत में इतना ही मेरा लिखना है कि इस प्रकार की जो अफवाहें फैला रहे हैं वे स्वयं अपने आपको ऐसी चमत्कारी एवं तत्काल परिणाम देने वाली प्रतिमा का दुष्प्रचार नहीं करे। यह अपने स्वयं एवं समाज के लिए बहुत ही खराब कार्य है।

राजकुमार जैन
मालपुरा, जिला–टोंक

आज 3–4 दिन पूर्व से मैं यहाँ पर हूँ और आदिनाथ भगवान के दर्शन किये और वन्दना भी की है। अभी तक जो पत्रिकाओं में मूर्ति में दरार की खबर छपी है वे सब निराधार लगती हैं क्योंकि मन्दिर बहुत ही पुराना व जीर्णशीर्ण हालत में था और अब उसे ध्वस्त होने के भय से वहाँ से हटा दिया गया है ऐसी दशा में मन्दिर का नव निर्माण अनिवार्य है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ यह मन्दिर जल्द से जल्द बनकर यह क्षेत्र दिगम्बर जैन समाज का सांस्कृतिक केन्द्र बने।

रूपचन्द्र कटारिया
37–ए/2, राजपुर रोड, ग्वालियर हाउस,
सिविल लाईन्स, दिल्ली

मैं आज दिन होली के पर्व में कुण्डलपुर दर्शन करने आया। हमने बड़े बाबा जी के दर्शन एवं अभिषेक पूजा की। हमने बड़े बाबा की प्रतिमा बहुत

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

गौर से देखी जिसमें हमको कहीं भी कुछ दरार या खामी नजर नहीं आयी। हमने कुछ दिन पूर्व पत्रिका में पढ़ा, उसमें अफवाह उड़ाने के लिये बहुत कुछ लिखा था। उनमें नजर (ध्यान) न देकर गलतफहमी में न आयें जिससे जैन संस्कृति पर गलत असर पड़े।

शैलेश कुमार जैन
शहडोल (म.प्र.)

मैं होली के पर्व में बड़े बाबा के दर्शन करने आया। दर्शन किए परंतु जैसा पत्रिका में पढ़ा था वैसा मूर्ति में नजर नहीं आया वैसे भी जगह की कमी बहुत अधिक है। अच्छा हो कि जगह बड़ी हो जावे। व जो भी गलत प्रचार प्रसार हो रहा है वैसा न किया जावे। बस इसी कामना के साथ।

अशोक कुमार जैन कुसनेर
(पनागर) जबलपुर

हमने कुछ पत्र–पत्रिकाओं में यह पढ़ा कि कुण्डलपुर दमोह में बड़े बाबा के मन्दिर के जीर्णोद्धार में बड़े बाबा की मूर्ति पर दरार आ गई है। मैं शहडोल से खासतौर पर यह देखने आया। मूर्ति का अच्छी तरह निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि मूर्ति पूरी तरह सुरक्षित है। किसी प्रकार की कोई दरार बगैरह नहीं है। सभी भ्रामक प्रचार है।

हम इस जीर्णोद्धार से बहुत प्रसन्न हुये। हमारी कमेटी से प्रार्थना है कि कार्य को इसी प्रकार चलते जाना चाहिये।

राजेन्द्र डपोदिया
शहडोल (म.प्र.)

मैं यहाँ पर करीब 15 वर्ष से आ रहा हूँ। पत्रिकाओं के माध्यम से जो भी यहाँ के बारे में लिखा जा रहा वह सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पर आकर देखा जाये तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हैं। यहाँ पर बड़े बाबा की प्रतिमा पर किसी प्रकार की कोई दरार नजर नहीं आ रही है। मैंने कई घंटे यहाँ रहकर देखा। बड़े बाबा की अतिशयकारी प्रतिमा के बारे में ऐसा

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

सोचना भी मैं पाप समझता हूँ। मंदिर निर्माण में हमारा पूरा–पूरा सहयोग है।

मनोज भाई
जावेरा

मैं यहाँ पर 5 वर्ष में तीसरी बार आया हूँ यहाँ पर आकर मुझे हर बार से अच्छा लगा। कुछ असामाजिक तत्वों ने यह झूठी खबर फैलाई थी कि मूर्ति में दरार पड़ गई है। यह बिल्कुल निराधार है। ऐसे तत्वों की कड़े शब्दों में मैं भर्त्सना करता हूँ।

पंकज कुमार जैन
बड़तला यादगार
सहारनपुर (यू.पी.)

श्री दिगम्बर जैन अतिशय सिद्धक्षेत्र कुण्डलगिरी जिसे समस्त जैन जगत कुण्डलपुर के नाम से जानता है, के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पूर्व में भी कई बार बड़े बाबा के दर्शन को आ चुका हूँ और आज भी उनकी भव्य प्रतिमा के दर्शन प्राप्त कर अपूर्व शान्ति का अनुभव कर रहा हूँ। भगवान आदिनाथ की यह अति प्राचीन प्रतिमा अपना भव्य विशाल आकर्षक रूप लिये समस्त प्राणी मात्र को मूक सन्देश लिये जैन धर्म के सत्य, अहिंसा एवं सद्भाव का संदेश दे रही है। प्रतिमा आज भी पूर्ण रूप से मनोज्ञ एवं सुन्दर है। प्राचीन प्रतिमा के रख रखाव में प्रबंधकारिणी कमेटी के व्यवस्थापकों एवं पदाधिकारियों का योगदान निश्चित ही सराहनीय है। आज दूषित मनोवृत्ति के कारण कतिपय पत्र–पत्रिकाओं में मूर्ति के विषय में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, वह निंदनीय है। श्री प्रभु से उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु प्रार्थना है।

रमेश चन्द्र जैन
उपाध्यक्ष श्री दिगम्बर जैन समाज, दतिया

आज हम गढ़ाकोटा से कुण्डलपुर आये। यहाँ पर साल में तीन चार

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

बार आना होता है। यहाँ पर कम भीड़ होने के बाद में भी बड़े बाबा के दर्शन सही तरह से नहीं हुये। बड़े बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हैं। हर बार नये रूप में दर्शन होते हैं। सभी को बड़े बाबा के अच्छे से दर्शन हो इस हेतु नये मंदिर जीं का निर्माण होना चाहिये, यह सही है।

सोनू जैन कुमरा वाले
बस स्टैण्ड, गढ़ाकोटा

आज हम खण्डवा एवं मनावर जिला धार से बड़े बाबा के दर्शनार्थ आये। हमें बहुत आत्मिक शांति प्राप्त हुई। पहले भी कई बार यहाँ पर दर्शन हेतु आ चुके हैं। हमने अभी कुछ दिन पूर्व, कुछ पत्रिकाओं में यहाँ के निर्माण कार्य संबंधी कुछ भ्रामक सामग्री पढ़ी। परन्तु वास्तव में यहाँ इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। यहाँ का निर्माण कार्य वास्तव में सही है तथा होना ही चाहिये। इस प्रकार के भ्रामक प्रचार से धार्मिक कार्यों के प्रति लोगों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के प्रचार के विरूद्ध लोगों को सही जानकारी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से देना चाहिये। बड़े बाबा की जय।

दिलीप पहाड़िया
घासपुर, खण्डवा

परम पूज्यनीय बड़े बाबा के दर्शन मैं विगत 40 वर्षों से नियमित करता आ रहा हूँ। विगत वर्षों में प्रगति और विकास के कार्यों में गति विशेष रूप से परिलक्षित हुई है। मेरे विचारों से अब विकास कार्यों में तूफानी गति इस क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारियों को देना चाहिये ताकि बड़े बाबा का भव्यतम मंदिर निर्माण शीघ्र हो जिससे मैं उसे अपनी जीवित अवस्था में देखकर पुण्य अर्जित कर सकूँ।

मैं कमेटी के प्रत्येक सदस्य को बधाई देते हुए अपेक्षा करूंगा कि वे मेरी अभिलाषा पूर्ण करने में सहयोग करेंगे।

अनिल चौधरी
आयुक्त मेडिकल ऑफिसर, दमोह

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

हमारे यहाँ का प्रतिनिधि मण्डल आज आपके सिद्धक्षेत्र में यात्रा हेतु आया। हमने यहाँ पर आकर देखा सभी प्रकार की व्यवस्था परिपूर्ण है और बड़े बाबा जी के मंदिर के बारे में हमारी राय है कि कुछ जगह कम पड़ रही है। इसका विस्तार हो सके तो बहुत अच्छा है और विकास कार्यों की गति तेज करनी चाहिए। मैं कमेटी के प्रत्येक सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दे रहा हूँ कि इसी प्रकार की व्यवस्था बनी रहे।

काली

मैं विगत 15 वर्षों से प्रत्येक वर्ष साल में कम से कम 2 बार बड़े बाबा के दर्शनार्थ तथा क्षेत्र की वंदना हेतु निरंतर आता रहता हूँ तथा भविष्य में भी इसी तरह आने की उम्मींद करता हूँ। विगत वर्षों में जिस प्रकार से क्षेत्र का विकास कार्य हो रहा वह सराहनीय है। मैं कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों तथा सभी सदस्यों का इस उपलब्धि के लिये हार्दिक अभिनंदन करते हुये कहना चाहता हूँ कि मैं क्षेत्र की विकास की गति से पूर्णतः संतुष्ट हूँ।

संजय कुमार जैन
सदस्य मुनि सेवा समिति
भगवानगंज, सागर

आज लगभग 24 वर्षों बाद पुनः बड़े बाबा कुण्डलपुर के दर्शन करने का सौभाग्य सपरिवार मिला। बहुत दिनों से कुण्डलपुर के बारे में कुप्रचार किया जा रहा था। अनेक पत्र–पत्रिकाओं में भी पढ़ा। बड़े बाबा संकट में हैं, मूर्ति में दरार या करोड़ों रूपये बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ पर आकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बल्कि निर्माण कार्य एवं जीर्णोद्धार अत्यन्त सावधानी पूर्वक किया जा रहा है। वैसे भी बड़े बाबा के बड़े चमत्कार हमने सुने हैं, अगर स्वयं बड़े बाबा न चाहते तो यह कार्य संभव नहीं था। नया मन्दिर (प्रस्तावित) शीघ्र ही पूर्णता को प्राप्त हो। तीर्थ दिन दूनी रात चौगनी विकास गति से बढ़े इसी शुभ भावना के साथ कार्यकारिणी कमेटी के इस कार्य पर निरंतर चलते

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

रहने हेतु किसी प्रकार की बाधा न आये ऐसी वीर प्रभु बड़े बाबा से प्रार्थना करता हूँ।

आलोक जैन .
5560/2 एम.एच.ई.
मनीमाचार, चण्डीगढ़

मैं प्रत्येक वर्ष बड़े बाबा के दर्शन हेतु आता हूँ। मैंने कई पत्रिकाओं में बड़े बाबा की मूर्ति के दरार के बारे में पढ़ा किन्तु दर्शन करने पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि इसमें कोई भी दरार या क्षति हुई है। अतः नीरज जी आपसे विनम्र निवेदन है कि जैन धर्म और समाज को बदनाम न करें।

सुशील जैन
अभिषेक
बरेली, जिला–रायसेन

बड़े बाबा का अतिशय क्षेत्र बहुत अद्वितीय है। ट्रस्ट का कार्य बहुत ही सराहनीय है। संस्था के द्वारा जो कार्य किया जा रहा वह तथा निर्माण करने वाले वास्तुविद और कारीगर बहुत ही उच्चकोटि के हैं। संस्था के पदाधिकारी समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार संस्था के पदाधि ाकारीगण बहुत ही कर्मठ एवं लगनशील हैं।

बड़े बाबा इनके कार्य में अवश्य सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे लायक कोई सेवा हो जो अवश्य बतावें। हमारा बड़ा सौभाग्य होगा जो बड़े बाबा की सेवा का अवसर मिले।

महेन्द्र बम
अध्यक्ष मध्यप्रदेश गौसेवा आयोग
भोपाल

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

हम मन्दिर भव्य बनायेंगे

अब हर कुर्बानी को तैयार है समाज

कुण्डलपुर में नीरज जैन की कूटनीति का यह असर हुआ है कि आठ साल से कुंभकरण की नींद में सो रहा पुरातत्व विभाग और दमोह जिला प्रशासन कुछ ज्यादा ही जागरूक हो गया है। नीरज जैन केवल किताब लिखकर समाज से समर्थन मांगते तो समझ में आता उन्होंने प्रकाश सिंघई के साथ मिलकर पिछले पांच महिने में कुण्डलपुर के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जो अक्षम्य हो गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पुरातत्व नष्ट होने का रोना रोया। पुरातत्व विभाग और दमोह जिला प्रशासन के यहाँ तो प्रकाश सिंघई प्रतिदिन शिकायत दर्ज कराकर मंदिर निर्माण रूकवाने में पूरी ताकत लगाये हुये हैं। यह दोनों व्यक्ति पूर्व में किसी न किसी रूप में कुण्डलपुर कमेटी से जुड़े रहे हैं।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

शासन प्रशासन इन्हें जैन समाज का प्रतिनिधि मानकर कुण्डलपुर कमेटी को नोटिस देने की महान भूल कर रहा है।

मुझे यह लिखने में कतई भय या संकोच नहीं है कि अब चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े पूरे देश की जैन समाज इसके लिये तैयार है। मैं देश की युवा तरूणाई की ओर से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम किसी भी बाधा से अहिंसक रूप से भिड़कर कुण्डलपुर में बड़े बाबा का मन्दिर बनाकर रहेंगे।

यह नीरज जैन और प्रकाश सिंघई जैसे विभिषणों के कुकर्मों का नतीजा है कि देश की विराट जैन समाज को दमोह का बौना सा जिला प्रशासन धमका रहा है। मंदिर के दरवाजे पर नोटिस चस्पा किये जा रहे हैं, कारीगरों को गिरफ्तार करने की धममियाँ दी जा रही हैं। समाचार पत्रों में हमारा मजाक बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी सहनशक्ति की परीक्षा ली जा रही है।

मैं इस पुस्तक में पहले भी लिख चुका हूँ कि अहिंसा हमारी संस्कृति है मजबूरी नहीं, हमें जबरन उत्तेजित न किया जाये। मैंने कुण्डलपुर में घूम–घूमकर आम लोगों की राय ली है। यहाँ के राजनीतिज्ञों तथा जन प्रतिनिधियों से भी विस्तृत चर्चा की है। अधिकांश लोग कुण्डलपुर में मंदिर के पक्षधर हैं तथा किसी भी विपरीत स्थिति में जैन समाज के साथ कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष को तैयार हैं।

मैं दमोह जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग से पूछना चाहता हूँ कि कुण्डलपुर में जिस मंदिर का निर्माण रोकने की कोशिश हो रही है वह पाँच साल से अनवरत चल रहा है अभी तक प्रशासन और पुरातत्व विभाग कहाँ था? पुरातत्व महत्व के हर क्षेत्र में पुरातत्व का घोषणा पटल

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

लगा रहता है जिसमें उस स्थान के संरक्षण की बात होती है। कुण्डलपुर में ऐसा घोषणा पटल क्यों नहीं है ? कुण्डलपुर के कौन–कौन से मंदिर पुरातत्व महत्व से संरक्षित हैं क्या इसकी सूचना आज तक पुरातत्व विभाग अथवा जिला प्रशासन ने कमेटी अथवा सार्वजनिक तौर पर किसी को दी है ?

वर्षों से कुण्डलपुर कमेटी वहाँ के मंदिरों का रख–रखाव, पुनः निर्माण, जीर्णोद्धार करती रही है आज तक पुरातत्व विभाग कहाँ था ? बीते पांच वर्ष में जैन समाज ने पहाड़ पर एक लाख पांच हजार वर्गफीट भूमि का समतलीकरण किया, गर्भगृह का शिलान्यास किया, पुरातत्व और जिला प्रशासन के अनेक अधिकारी इन समारोहों में आते रहे, कभी किसी ने एक शब्द भी पुरातत्व नष्ट होने के बारे में नहीं बोला। अब जब यहाँ समाज का सवा करोड़ रूपया लग गया है, नये मंदिर की फाउण्डेशन तैयार हो गई है ऐसे में इसका विरोध करना कहाँ तक उचित अथवा सहनीय है।

हकीकत यह है कि अभी तक जिला प्रशासन और पुरातत्व विभाग के पास नीरज और प्रकाश चक्कर लगाते रहे और उन्हें मनमाने ढंग से भड़काते रहे, यह भी संभव है कि जिला प्रशासन ने किसी दबाव के चलते नोटिस जारी किये हों। बहरहाल अब हमें जागना होगा, अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा, कुण्डलपुर में हम किसी की दया से नहीं अपनी श्रद्धा से मंदिर बनायेंगे, यह हमारा अधिकार है। कुण्डलपुर के मंदिर सरकार की मिल्कियत नहीं, दिगम्बर जैन समाज की सांस्कृतिक धरोहर है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा करने से हमें कोई रोक नहीं सकता बशर्ते हम अपना पक्ष ठीक ढंग से रख सकें।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

हमने कुण्डलपुर में कोई ध्वंस नहीं किया, हमने वहाँ बड़े बाबा की मूर्ति की सुरक्षा की व्यवस्था की है। दे ा में कई जगह ऐसे कार्यों के लिये पुरातत्व विभाग स्थानीय संस्थाओं को अनुदान देता है, हमने समाज के सहयोग से इतनी बड़ी योजना हाथ में ली है। यह तय है कि यदि हम जाग गये तो सारी बाधायें समाप्त होंगी और बड़े बाबा का बड़ा, वि ाल, आकर्षक, मनोहारी, अति ायकारी मंदिर वहीं बनेगा, बनेगा और हर हाल में बनेगा।

4694

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

भाग - बारह

क्षमा वीरस्य भूषणम्

सच सदैव कड़वा होता है...!

जब मर्ज लाइलाज हो जाता है तो डॉक्टर को कड़वी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है।

इस पुस्तक के कुछ शब्द, वाक्य अथवा अध्याय कुछ लोगों को कड़वे लग सकते हैं लेकिन यदि वे ठंडे दिमाग से (जो कि शायद उनके पास नहीं है) सोचेंगे तो पुस्तक का एक-एक शब्द सच की भट्टी से तपा हुआ दिखेगा।

मैं जानता हूँ कि इस पुस्तक की तीन प्रतिक्रियायें होंगी:-

1. कुण्डलपुर में मंदिर का विरोध करने वालों के चेहरे से नकाब हटने से वे दुखी और स्वयं को अलग-थलग महसूस करेंगे।
2. कुण्डलपुर में मंदिर का समर्थन करने वाले खुशी से झूमेंगे कि हमने कराहता कुण्डलपुर का उनके शब्दों में कड़ा जवाब दे दिया है।
3. तीसरी प्रतिक्रिया उस वर्ग पर होगी जो बड़े बाबा के भक्त है किन्तु पूरे विवाद में तटस्थ हैं। कराहता कुण्डलपुर पढ़कर उनके मन में जो शंकायें उत्पन्न हुई थी, कुण्डलपुर का सच उन शंकाओं को निश्चित ही दूर करेगा।

मेरा लक्ष्य न तो मंदिर विरोधियों को दुखी या अलग-थलग करना है। न ही मंदिर समर्थकों को यह अहसास कराना है कि हमने कराहता कुण्डलपुर का कड़ा जवाब दे दिया है। मेरा एकमात्र और अंतिम उद्देश्य मंदिर के निर्माण को लेकर उठी शंकाओं का निवारण करना है।

इस पुस्तक को प्रकाशित कराने से पहले मैंने उन तमाम सज्जनों को दिखाई और पढ़ाई जिन्होंने कराहता कुण्डलपुर पढ़कर अपने मन में निर्मूल शंकाओं को पाल रखा था। इसे पढ़कर उनकी शंकाओं का निवारण हुआ, तब मैंने इसे प्रकाशित करने का निर्णय लिया।

इस पुस्तक से यदि किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दुख पहुँचे अथवा उनके कथित मान सम्मान को ठेस पहुँचे तो मैं अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद है "क्षमा वीरस्य भूषणम्" को अपनाते हुये वे मुझे क्षमा करेंगे तथा इस कड़वे सच को, कड़वी दवाई की तरह लेकर अपने आप को सुधारेंगे।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

अब आप ही विचार करें...

श्री क्षेत्र कुण्डलपुर भूकम्प प्रभावित क्षेत्र है। जबलपुर में वर्ष 1997 की भूकम्प त्रासदी का प्रभाव कुण्डलपुर के अनेक मंदिरों पर पड़ा है जो आज भी साफ दिखाई दे रहा है।

आज से 32 वर्ष पूर्व आये भूकम्प के कारण बड़े बाबा की मनोज्ञ प्रतिभा एक ओर, एक इंच झुक गई है।

इसलिये अब जरुरी हो गया है कि बड़े बाबा को ऐसे मंदिर में विराजमान किया जाये जिसमें भूकम्परोधक क्षमता हो और बड़े बाबा के दर्शन युगों-युगों तक हो सकें।

क्षेत्र कमेटी बड़े बाबा को एक ऐसे स्थान पर विराजमान करने का मंगल कार्य कर रही है जो रैक्टर पैमाने पर 8 डिग्री तक के भूकम्प के प्रभाव को सह सकेगा।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi

CC0.In Public Domain. Digitized by Sarayu Trust/eGangotri

रवीन्द्र जैन, पत्रकार

जन्म- 30 सितम्बर 1962, ग्वालियर

माता पिता- श्रीमती कांतीदेवी, श्री भगवानदास जैन

धार्मिक संस्कार- स्व. दादाजी श्री बाबूलाल जी जैन कयेड़ी वाले (सप्तम प्रतिमाधारी) से प्राप्त हुये

वर्ष 1984 से निरंतर पत्रकारिता, दैनिक भास्कर भोपाल में उप सम्पादक रहे, वर्तमान में दूरदर्शन भोपाल समाचार में स्ट्रीन्गर, पत्र-पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन, टी.वी. न्यूज कवरेज।

वर्ष 1996 में मॉरीशस में अनिवासी भारतीय के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंड़ल में शामिल।

वर्ष 1999 में कारगिल युध्द पर '***कारगिल दस्तावेज***' नाम से पुस्तक (250 पेज) लिखी, जो कि सारे देश में सराही गई।

100 से अधिक टी.वी. कार्यक्रमों का निर्माण, इनमें अनेक फिल्में जैन धर्म, संस्कृति, शाकाहार, महिला शिक्षा पर आधारित हैं।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश का पहला निजी वातानुकुलित टी.वी. स्टुडियो शुरु किया। इसके माध्यम से अहिंसा धर्म की प्रभावना कर रहे हैं।

Ganesh Varni Digambar Jain Institute, Naria, Varanasi